जनवरी 2015
मध्यप्रदेश
# पंचायिका
पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

परामर्श
शिवानी वर्मा
देवेन्द्र जोशी

संपादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग
अल्पना राठौर

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

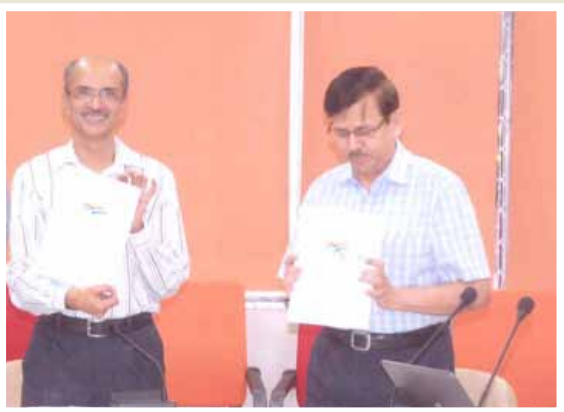

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम कानून व्यवस्था से संबंधित पुस्तक का विमोचन करते हुए।

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग

ग्राम स्वराज
मेरा वोट मेरा राज

## इसअंक में

| | |
|---|---|
| **साक्षात्कार :** राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम से बातचीत | 3 |
| **आवरण कथा :** पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 - तीन चरण में होंगे चुनाव | 6 |
| **पंचायत निर्वाचन :** पंचायत निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता | 14 |
| **नवाचार :** जन जागरण : सेंस, मतदाता जागरूकता अभियान | 18 |
| **खास खबरें :** पंचायत निर्वाचन के लिए पिचहत्तर प्रेक्षक नियुक्त | 22 |
| **विशेष लेख :** पंचायत निर्वाचन : महिला मतदाताओं और अभ्यर्थियों के संदर्भ में | 27 |
| **पंचायत निर्वाचन आरक्षण :** छब्बीस जिला पंचायतों में महिलाएं होंगी अध्यक्ष | 30 |
| **पंचायत निर्वाचन : इतिहास** - आरंभ से अब तक, त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन | 34 |
| **प्रशिक्षण :** चुनाव प्रक्रिया की दक्षता के लिए प्रशिक्षण | 38 |
| **चुनाव चर्चा :** पंचायत चुनाव में होगी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था | 39 |
| **चुनाव विशेष :** इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े आम सवाल | 42 |
| **पंचायत :** पंच-परमेश्वर की प्राचीन व्यवस्था | 44 |
| **धरोहर :** ग्रामीण अंचल के पुरातत्वीय स्मारक | 48 |

**प्रिय पाठको,**

सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। वर्ष 2015 पंचायतों के लिये नव उल्लास, नवलय, नवगति लेकर आया है। वर्ष के आरंभ में ही पंचम पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 सम्पन्न होने जा रहे हैं। वर्ष 2015 का पहला अंक पंचायत चुनाव पर केन्द्रित है।

तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 13 जनवरी, दूसरे चरण का 31 जनवरी और तीसरे चरण का 19 फरवरी को होगा। बड़ी संख्या में मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों की व्यवस्था और निष्पक्ष तथा निर्विवाद निर्वाचन प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है। पंचायत निर्वाचन 2014-15 की तैयारी, व्यवस्था और होने वाले नवाचार को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम से मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए की गयी बातचीत को हम साक्षात्कार स्तम्भ में प्रकाशित कर रहे हैं।

पंचायत आम निर्वाचन के सम्पूर्ण कार्यक्रम की जानकारी को आवरण कथा में शामिल किया गया है। पंचायत निर्वाचन की घोषणा के साथ ही अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों, शासकीय विभागों, पंचायतों और कर्मचारियों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू की जाती है। पालन-प्रतिपालन के संदर्भ में आदर्श आचरण संहिता पंचायत निर्वाचन स्तम्भ में प्रकाशित की गयी है। इस पंचायत निर्वाचन में अनेक नवाचार किए गए हैं, इसमें मुख्य है राज्य निर्वाचन आयोग का मतदाता जागरूकता अभियान सेंस, इस पर विशेष लेख नवाचार स्तम्भ में प्रकाशित है।

पंचायत निर्वाचन में महिला मतदाताओं और अभ्यर्थियों के संदर्भ में, निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं पर केन्द्रित यह आलेख विशेष लेख स्तम्भ में प्रकाशित किया है। छब्बीस जिला पंचायतों में महिलाएँ होंगी अध्यक्ष इस खास खबर में पंचायत निर्वाचन आरक्षण को लेकर सम्पूर्ण जानकारी शामिल है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन आरंभ से अब तक के तहत पंचायत निर्वाचन इतिहास को प्रकाशित किया जा रहा है। प्रशिक्षण स्तम्भ में चुनाव प्रक्रिया की दक्षता के लिये प्रशिक्षण संबंधी जानकारी प्रस्तुत है। चुनाव चर्चा में पंचायत चुनाव में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, पंचायत निर्वाचन के लिए श्रमिकों को अवकाश, गणतंत्र दिवस समारोह में होगी मतदाता जागरूकता सेंस से संबंधित झांकी तथा अन्य खबरें शामिल हैं। इस पंचायत चुनाव में मतदाता पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करेंगे अतः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े आम सवाल चुनाव विशेष स्तम्भ में प्रकाशित हैं।

भारत में पंचायत व्यवस्था की पुरातन परम्परा पर केन्द्रित आलेख "पंच-परमेश्वर की प्राचीन व्यवस्था" को विशेष लेख स्तम्भ में शामिल किया है। इसी स्तम्भ में दक्षिण भारतीय इतिहास में पंचायत राज आलेख प्रकाशित है। धरोहर स्तम्भ में ग्रामीण अंचल के पुरातत्वीय स्मारक की जानकारी प्रकाशित की गयी है।

इस अंक में बस इतना ही। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

**(रघुवीर श्रीवास्तव)**

पंचायत निर्वाचन 2014-15

# अपने मतदान से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करें

## राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम से बातचीत

**मध्यप्रदेश में पांचवें पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के लिए तीन चरण में चुनाव सम्पन्न होंगे। प्रदेश के 51 जिलों, 313 विकासखण्डों और 22856 ग्राम पंचायतों में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 13 जनवरी, दूसरे चरण का 31 जनवरी और तीसरे चरण का मतदान 19 फरवरी को होगा। पंचायत निर्वाचन में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन से दस प्रतिशत अधिक मतदान होता है। बड़ी संख्या में मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों की व्यवस्था और मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें, यह राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम मानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष और निर्विवाद होने चाहिए। व्यापक स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव की चरणबद्ध सुव्यवस्थित व्यवस्था की गयी है। पंचायत निर्वाचन में पहली बार फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं ई.व्ही.एम. का उपयोग, मतदाताओं के लिए नोटा का विकल्प, प्रचार प्रसार एवं मतदाता जागरूकता के लिए सेंस, सुरक्षा की चौकस व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग, फोटो युक्त मतदाता पर्ची का वितरण आदि नवाचारों के साथ तैयारियाँ की गयी हैं। चुनाव के लिये की गयी तैयारियों से चुनाव आयोग संतुष्ट है। प्रस्तुत है पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम से मध्यप्रदेश पंचायिका की संपादक श्रीमती रंजना चितले की हुई बातचीत के अंश।**

- **पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 की घोषणा की जा चुकी है। इस बार पंचायत चुनाव के लिये क्या तैयारियां की गयी हैं?**

●● पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक पांच वर्ष में होते हैं। पंचायत निर्वाचन में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के पदों के लिए मतदाताओं द्वारा वोट डालकर चुनाव किया जाना है। जिसमें सरपंच और पंच का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। उप सरपंच का चयन भी निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2009-10 में पंचायत चुनाव प्रक्रिया के बाद इस चुनाव के लिये दिसम्बर 2014 से निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। इस प्रक्रिया अंतर्गत तीन चरणों में वोट डाले जायेंगे। पहले चरण का मतदान 13 जनवरी, दूसरे चरण का 31 जनवरी और तीसरे चरण का मतदान 19 फरवरी 2015 को होगा। चुनाव प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए प्रदेश के 51 जिलों और 313 विकासखण्डों को तीन चरणों में बांटा गया है। किसी एक विकासखण्ड के समस्त मतदाता चारों पदों पर एक साथ वोट डालेंगे। जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिये मतदान ई.व्ही.एम. द्वारा तथा पंच और सरपंच पद के लिए हमेशा की तरह मतपत्र से मतदान होगा। पंच और सरपंच पद के लिये मतगणना, मतदान केन्द्र पर ही मतदान समाप्त होने पर की जायेगी। जिला व जनपद पंचायत सदस्यों के लिए ई.व्ही.एम. द्वारा डाले गये मतों की गिनती विकासखण्ड स्तर पर होगी। विकासखण्ड स्तर पर सभी मतदान केन्द्रों से प्राप्त मतों का सारणीकरण कर पंच, सरपंच तथा जनपद के परिणाम घोषित होंगे। जिला पंचायत के परिणाम जिला स्तर पर घोषित होंगे।

- **पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 में कितने पंचायत प्रतिनिधि चयनित होंगे?**

●● इस बार के निर्वाचन में 854 जिला पंचायत, 6757 जनपद पंचायत सदस्यों, 22856 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का चुनाव होगा। तीन लाख 61 हजार 550 पंचों के लिए वार्ड वार चुनाव होगा। इस पंचायत चुनाव में 3 करोड़ 41 लाख 77

हजार 63 मतदाताओं के नाम सूची में हैं जो 2009 के निर्वाचन से 62 लाख अधिक हैं।

- **जैसा आपने बताया कि इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इन मतदाताओं के मतदान के लिए क्या कोई अन्य व्यवस्था की गयी है।**

●● हाँ, बिल्कुल मतदाताओं की बढ़ी संख्या के अनुसार इन चुनावों में इस बार 67 हजार 85 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जो 2009 के चुनाव से 6 हजार अधिक हैं।

- **नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थियों के लिए क्या कोई आवश्यक जानकारी देने का भी प्रावधान है?**

●● निर्वाचन के लिये नामांकन दाखिल करने के लिए इस बार सभी अभ्यर्थियों को अपनी पंचायतों से उनकी जो भी देयता होगी जैसे किसी भी तरह के टेक्स को जमा करने का प्रमाण पत्र और विद्युत वितरण केन्द्र से बिजली का बिल जमा करने का प्रमाण पत्र नामांकन के साथ जमा करना आवश्यक है। इन प्रमाणों को जमा करने के बाद ही उम्मीदवार मान्य अभ्यर्थी माना जायेगा।

- **इस बार पंचायत चुनाव में क्या कोई नवाचार किये जा रहे हैं?**

●● इस पंचायत निर्वाचन के लिये मध्यप्रदेश में पहली बार सम्पूर्ण मतदाता सूची फोटोयुक्त बनायी गयी है। इस चुनाव में लोकसभा निर्वाचन के समान ही मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण किया जायेगा। ताकि मतदाताओं को मतदान के लिए मतदान केन्द्र पर जाना आसान होगा। इसके अतिरिक्त फर्जी मतदान पर भी नियंत्रण रहेगा।

- **क्या इस चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जा रहा है?**

●● ई.व्ही.एम. का उपयोग, फोटोयुक्त सूची से मतदाताओं की पहचान सहित इन नवाचारों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी का भी भरपूर उपयोग किया गया है। आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर समस्त जानकारी, आदेश, अनुदेश, उम्मीदवारों की सहजता के लिए भरे जाने वाले फार्म तथा मतदाता जागरूकता संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध है।

वेबसाइट पर पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के संबंध में तथा मतदान और मतगणना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी मीडिया तथा आम लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से वेब पर उपलब्ध होगी।

- **इस पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या प्रबंध किये गये हैं?**

●● पंचायत निर्वाचन में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन से लगभग 10 प्रतिशत अधिक मतदान होता आया है। इस बड़ी भारी संख्या के मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर व्यवस्थाएं की गयी हैं। इच्छुक मतदाताओं को रोका न जा सके इसकी व्यापक व्यवस्था की गयी है। ऐसे मतदान केन्द्रों को चिन्हित किया गया है, जो संवेदनशील माने जा सकते हैं।

- क्या इन संवेदनशील केन्द्रों के लिये सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी है?

●● प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान दलों में अतिरिक्त मतदान अधिकारी की व्यवस्था की गयी है। कुल मिलाकर सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त 5 लाख 54 हजार अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया में कार्यरत रहेंगे। इसके अलावा तीनों चरणों में लगभग 70 हजार पुलिसबल, होमगार्ड तथा 85 हजार विशेष पुलिस अधिकारी (होम गार्ड/फारेस्ट गार्ड इत्यादि) भी तैनात रहेंगे।

- **मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिये क्या बेहतर प्रबंध किये गये हैं?**

●● इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम स्तर पर ई.व्ही.एम. मशीनों के उपयोग के संबंध में जानकारी प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई है। विशेष प्रचार प्रसार के तहत रथ यात्रा, नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कार्य के लिये जिला प्रशासन का उपयोग किया गया है, ताकि मतदान प्रक्रिया बताई जा सके। बहुत से नवाचारों को प्रारंभ किये जाने तथा उन्हें कारगर करने के लिये राज्य, संभाग, जिला तथा विकासखण्ड स्तर पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

- आदर्श आचरण संहिता के पालन को लेकर क्या प्रावधान है?

●● चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता को लागू किया गया है। आदर्श आचरण संहिता के पालन की सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी और अधिकारी-कर्मचारी से अपेक्षा की गयी है। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिये जो भी निर्वाचन अपराध संबंधी प्रावधान लागू होते हैं उन्हें समान रूप से मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 में संशोधन कर पंचायतों के अभ्यर्थियों के लिये भी लागू किया गया है।

- **सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया और इसके महत्व को लेकर मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?**

●● देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को उसी तरह संवैधानिक गरिमा प्रदान की गयी है, जैसे कि संसद और विधानसभा को है। देश की आबादी बढ़ी उसी तरह मध्यप्रदेश की भी बढ़ी है। सुशासन तथा कुशल प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिये शासन तंत्र की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को आवश्यक माना गया है। इसमें सफलता प्राप्त करना तभी संभव है जब ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना जाये जो न केवल जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हों अपितु संपूर्ण जनता के प्रति समान भाव से सेवा का लक्ष्य रखते हों। आम नागरिकों के लिये ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने का मतदान ही सर्वाधिक कारगर उपाय है। इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में महिला और पुरुष मतदाता इसमें शामिल हों तो यह मैदानी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा।

चुनाव प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए प्रदेश के 51 जिलों और 313 विकासखण्डों को तीन चरणों में बांटा गया है। किसी एक विकासखण्ड के समस्त मतदाता चारों पदों पर एक साथ वोट डालेंगे। जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिये मतदान ई.व्ही.एम. द्वारा तथा पंच और सरपंच पद के लिए हमेशा की तरह मतपत्र से मतदान होगा। पंच और सरपंच पद के लिये मतगणना, मतदान केन्द्र पर ही मतदान समाप्त होने पर की जायेगी। जिला व जनपद पंचायत सदस्यों के लिए ई.व्ही.एम. द्वारा डाले गये मतों की गिनती विकासखण्ड स्तर पर होगी। विकासखण्ड स्तर पर सभी

मतदान केन्द्रों से प्राप्त मतों का सारणीकरण कर पंच, सरपंच तथा जनपद के परिणाम घोषित होंगे। जिला पंचायत के परिणाम जिला स्तर पर घोषित होंगे।

- पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 में कितने पंचायत प्रतिनिधि चयनित होंगे?

●● इस बार के निर्वाचन में 854 जिला पंचायत, 6757 जनपद पंचायत सदस्यों, 22856 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का चुनाव होगा। तीन लाख 61 हजार 550 पंचों के लिए वार्ड वार चुनाव होगा। इस पंचायत चुनाव में 3 करोड़ 41 लाख 77 हजार 63 मतदाताओं के नाम सूची में हैं जो 2009 के निर्वाचन से 62 लाख अधिक हैं।

- **जैसा आपने बताया कि इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इन मतदाताओं के मतदान के लिए क्या कोई अन्य व्यवस्था की गयी है।**

●● हाँ, बिल्कुल मतदाताओं की बढ़ी संख्या के अनुसार इन चुनावों में इस बार 67 हजार 85 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जो 2009 के चुनाव से 6 हजार अधिक हैं।

- **नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थियों के लिए क्या कोई आवश्यक जानकारी देने का भी प्रावधान है?**

●● निर्वाचन के लिये नामांकन दाखिल करने के लिए इस बार सभी अभ्यर्थियों को अपनी पंचायतों से उनकी जो भी देयता होगी जैसे किसी भी तरह के टेक्स को जमा करने का प्रमाण पत्र और विद्युत वितरण केन्द्र से बिजली का बिल जमा करने का प्रमाण पत्र नामांकन के साथ जमा करना आवश्यक है। इन प्रमाणों को जमा करने के बाद ही उम्मीदवार मान्य अभ्यर्थी माना जायेगा।

- **इस बार पंचायत चुनाव में क्या कोई नवाचार किये जा रहे हैं?**

●● इस पंचायत निर्वाचन के लिये मध्यप्रदेश में पहली बार सम्पूर्ण मतदाता सूची फोटोयुक्त बनायी गयी है। इस चुनाव में लोकसभा निर्वाचन के समान ही मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण किया जायेगा। ताकि मतदाताओं को मतदान के लिए मतदान केन्द्र पर जाना आसान होगा। इसके अतिरिक्त फर्जी मतदान पर भी नियंत्रण रहेगा।

- **क्या इस चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जा रहा है?**

●● ई.व्ही.एम. का उपयोग, फोटोयुक्त सूची से मतदाताओं की पहचान सहित इन नवाचारों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी का भी भरपूर उपयोग किया गया है। आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर समस्त जानकारी, आदेश, अनुदेश, उम्मीदवारों की सहजता के लिए भरे जाने वाले फार्म तथा मतदाता जागरूकता संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध है।
वेबसाइट पर पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के संबंध में तथा मतदान और मतगणना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी मीडिया तथा आम लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से वेब पर उपलब्ध होगी।

- **इस पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या प्रबंध किये गये हैं?**

●● पंचायत निर्वाचन में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन से लगभग 10 प्रतिशत अधिक मतदान होता आया है। इस बड़ी भारी संख्या के मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर व्यवस्थाएं की गयी हैं। इच्छुक मतदाताओं को रोका न जा सके इसकी व्यापक व्यवस्था की गयी है। ऐसे मतदान केन्द्रों को चिन्हित किया गया है, जो संवेदनशील माने जा सकते हैं।

- **क्या इन संवेदनशील केन्द्रों के लिये सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी है?**

●● प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान दलों में अतिरिक्त मतदान अधिकारी की व्यवस्था की गयी है। कुल मिलाकर सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त 5 लाख 54 हजार अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया में कार्यरत रहेंगे। इसके अलावा तीनों चरणों में लगभग 70 हजार पुलिसबल, होमगार्ड तथा 85 हजार विशेष पुलिस अधिकारी (होम गार्ड/फारेस्ट गार्ड इत्यादि) भी तैनात रहेंगे।

- **मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिये क्या बेहतर प्रबंध किये गये हैं?**

●● इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम स्तर पर ई.व्ही.एम. मशीनों के उपयोग के संबंध में जानकारी प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई है। विशेष प्रचार प्रसार के तहत रथ यात्रा, नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कार्य के लिये जिला प्रशासन का उपयोग किया गया है, ताकि मतदान प्रक्रिया बताई जा सके। बहुत से नवाचारों को प्रारंभ किये जाने तथा उन्हें कारगर करने के लिये राज्य, संभाग, जिला तथा विकासखण्ड स्तर पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

- **आदर्श आचरण संहिता के पालन को लेकर क्या प्रावधान है?**

●● चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता को लागू किया गया है। आदर्श आचरण संहिता के पालन की सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी और अधिकारी-कर्मचारी से अपेक्षा की गयी है। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिये जो भी निर्वाचन अपराध संबंधी प्रावधान लागू होते हैं उन्हें समान रूप से मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 में संशोधन कर पंचायतों के अभ्यर्थियों के लिये भी लागू किया गया है।

- **सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया और इसके महत्व को लेकर मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?**

●● देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को उसी तरह संवैधानिक गरिमा प्रदान की गयी है, जैसे कि संसद और विधानसभा को है। देश की आबादी बढ़ी उसी तरह मध्यप्रदेश की भी बढ़ी है। सुशासन तथा कुशल प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिये शासन तंत्र की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को आवश्यक माना गया है। इसमें सफलता प्राप्त करना तभी संभव है जब ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना जाये जो न केवल जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हों अपितु संपूर्ण जनता के प्रति समान भाव से सेवा का लक्ष्य रखते हों। आम नागरिकों के लिये ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने का मतदान ही सर्वाधिक कारगर उपाय है। इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में महिला और पुरुष मतदाता इसमें शामिल हों तो यह मैदानी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा।

## पंचायत आम निर्वाचन – 2014-15

# तीन चरण में होंगे चुनाव 13 एवं 31 जनवरी और 19 फरवरी को होगा मतदान

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पंचायत आम निर्वाचन तीन चरण में होंगे। पहले चरण का मतदान 13 जनवरी, दूसरे चरण का 31 जनवरी और तीसरे चरण का 19 फरवरी, 2015 को होगा। मतदान सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। पंच और सरपंच के पद के लिए मतदान मत पत्र से एवं जिला एवं जनपद सदस्य के लिये मतदान ईव्हीएम के द्वारा होगा। पंच और सरपंच पद के लिये मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतदान केन्द्र में ही की जायेगी। जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य के मतों की गणना विकासखण्ड मुख्यालय पर होगी। संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गई है।

श्री परशुराम ने बताया कि प्रथम चरण के लिये सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन प्राप्त करने का कार्य 22 दिसम्बर को प्रातः 10.30 बजे शुरू होगा। इसी दिन स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जायेगा। नाम निर्देशन-पत्र 29 दिसंबर की शाम 3 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 30 दिसंबर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख एक जनवरी, 2015 है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन एक जनवरी, 2015 को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के बाद होगा। मतदान 13 जनवरी को होगा।

पंच एवं सरपंच पद के लिये मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतदान केन्द्र पर की जायेगी। जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य की मतगणना 16 जनवरी को विकासखण्ड मुख्यालय पर होगी। सरपंच एवं पंच के मतों का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 17 जनवरी को विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।

द्वितीय चरण के लिये सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन प्राप्त करने का कार्य 31 दिसम्बर को प्रातः 10.30 बजे शुरू होगा। इसी दिन स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जायेगा। नाम निर्देशन-पत्र 7 जनवरी, 2015 की शाम 3 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 8 जनवरी, 2015 को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2015 है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 10 जनवरी, 2015 को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद होगा। मतदान 31 जनवरी को होगा। पंच एवं सरपंच पद के लिये मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतदान केन्द्र पर की जायेगी। जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य की मतगणना 4 फरवरी, 2015 को विकासखण्ड मुख्यालय पर होगी। सरपंच एवं पंच के मतों का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 5 फरवरी को विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।

तृतीय चरण के लिये सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन प्राप्त करने का कार्य 31 दिसम्बर को प्रातः 10.30 बजे शुरू होगा। इसी दिन स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जायेगा। नाम निर्देशन-पत्र 7 जनवरी, 2015 की शाम 3 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 8 जनवरी, 2015 को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2015 है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 10 जनवरी, 2015 को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद होगा। मतदान 19 फरवरी, 2015 को होगा। मतदान का समय सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगा। पंच एवं सरपंच पद के लिये मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतदान केन्द्र पर की जायेगी। जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य की मतगणना 22 फरवरी, 2015 को विकासखण्ड मुख्यालय पर होगी। सरपंच एवं पंच के मतों का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 23 फरवरी को विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने जानकारी दी है कि सभी चरण के लिये जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 24 फरवरी को और जिला पंचायत सदस्य के लिये 25 फरवरी को की जायेगी।

## चरणवार निर्वाचन की जानकारी

| क्रमांक | जिला | प्रथम चरण | | | द्वितीय चरण | | | तृतीय चरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | विकासखण्ड का नाम | ग्राम पंचायतों की संख्या | मतदान केन्द्रों की संख्या | विकासखण्ड का नाम | ग्राम पंचायतों की संख्या | मतदान केन्द्रों की संख्या | विकासखण्ड का नाम | ग्राम पंचायतों की संख्या | मतदान केन्द्रों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | **भोपाल संभाग** | | | | | |
| 1. | **भोपाल** | | | | | **निरंक** | | फंदा | 87 | 220 |
| | | | | | | | | बैरसिया | 110 | 305 |
| | | **योग** | | | | | | | **197** | **525** |
| 2. | **राजगढ़** | ब्यावरा | 109 | 262 | सारंगपुर | 98 | 268 | नरसिंहगढ़ | 132 | 374 |
| | | राजगढ़ | 101 | 253 | खिलचीपुर | 95 | 207 | जीरापुर | 87 | 205 |
| | | **योग** | **210** | **515** | | **193** | **475** | | **219** | **579** |
| 3. | **रायसेन** | सांची | 77 | 217 | उदयपुरा | 68 | 152 | बाड़ी | 103 | 250 |
| | | सिलवानी | 67 | 171 | बेगमगंज | 60 | 139 | औ.गंज | 72 | 223 |
| | | | | | गैरतगंज | 51 | 115 | | | |
| | | **योग** | **144** | **388** | | **179** | **406** | | **175** | **473** |
| 4. | **सीहोर** | सीहोर | 144 | 393 | नसरुल्लागंज | 87 | 251 | आष्टा | 134 | 390 |
| | | | | | इछावर | 70 | 187 | बुदनी | 62 | 159 |
| | | **योग** | **144** | **393** | | **157** | **438** | | **196** | **549** |
| 5. | **विदिशा** | बासौदा | 101 | 286 | कुरवाई | 75 | 201 | सिरोंज | 93 | 209 |
| | | विदिशा | 95 | 240 | ग्यारसपुर | 71 | 161 | नटेरन | 84 | 217 |
| | | | | | | | | लटेरी | 61 | 132 |
| | | **योग** | **196** | **526** | | **146** | **362** | | **238** | **558** |
| | | | | | **इंदौर संभाग** | | | | | |
| 6. | **इंदौर** | सांवेर | 75 | 295 | | | | देपालपुर | 100 | 256 |
| | | इंदौर | 64 | 227 | | **निरंक** | | डॉ. अम्बे. (महू) | 75 | 267 |
| | | **योग** | **139** | **522** | | **0** | | | **175** | **523** |
| 7. | **खरगौन** | बड़वाह | 114 | 416 | कसरावद | 83 | 303 | भीकनगांव | 65 | 234 |
| | | महेश्वर | 69 | 265 | झिरन्या | 76 | 215 | भगवानपुरा | 61 | 227 |
| | | | | | खरगौन | 43 | 169 | गोगांवा | 46 | 156 |
| | | | | | | | | सेगांव | 37 | 100 |
| | | **योग** | **183** | **681** | | **202** | **687** | | **209** | **717** |
| 8. | **खण्डवा** | पुनासा | 72 | 249 | खालवा | 86 | 282 | पंधाना | 84 | 257 |
| | | हरसूद | 42 | 129 | खण्डवा | 72 | 169 | छैगांवमाखन | 59 | 191 |
| | | बलड़ी | 21 | 75 | | | | | | |
| | | **योग** | **135** | **453** | | **158** | **451** | | **143** | **448** |
| 9 | **धार** | नालछा | 67 | 172 | बदनावर | 89 | 240 | सरदारपुर | 95 | 323 |
| | | गंधवानी | 66 | 172 | तिरला | 52 | 123 | बाग | 48 | 151 |
| | | मनावर | 64 | 170 | उमरबन | 61 | 161 | निसरपुर | 34 | 119 |
| | | धरमपुरी | 51 | 162 | धार | 52 | 137 | डही | 45 | 118 |
| | | | | | कुक्षी | 37 | 104 | | | |
| | | **योग** | **248** | **676** | | **291** | **765** | | **222** | **711** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **झाबुआ** | पेटलावद | 77 | 231 | थांदला | 67 | 181 | झाबुआ | 68 | 198 |
| | | | | | मेघनगर | 61 | 172 | रानापुर | 47 | 145 |
| | | | | | | | | रामा | 55 | 165 |
| | | **योग** | **77** | **231** | | **128** | **353** | | **170** | **508** |
| **11.** | **बुरहानपुर** | | **निरंक** | | बुरहानपुर | 77 | 338 | खकनार | 90 | 265 |
| | | **योग** | | | | **77** | **338** | | **90** | **265** |
| **12.** | **अलीराजपुर** | | | **निरंक** | | | | सोण्डवा | 74 | 180 |
| | | | | | | | | अलीराजपुर | 53 | 130 |
| | | | | | | | | भावरा | 34 | 117 |
| | | | | | | | | कट्ठिवाड़ा | 49 | 112 |
| | | | | | | | | उदयगढ़ | 40 | 97 |
| | | | | | | | | जोबट | 38 | 93 |
| | | **योग** | | | | | | | **288** | **729** |
| **13.** | **बड़वानी** | राजपुर | 66 | 186 | सेंधवा | 114 | 294 | बड़वानी | 52 | 172 |
| | | ठीकरी | 58 | 184 | पाटी | 45 | 149 | पानसेमल | 39 | 149 |
| | | | | | | | | निवाली | 42 | 128 |
| | | **योग** | **124** | **370** | | **159** | **443** | | **133** | **449** |
| | | | | | **ग्वालियर संभाग** | | | | | |
| **14.** | **ग्वालियर** | | **निरंक** | | मुरार | 60 | 163 | घाटीगांव | 46 | 187 |
| | | | | | भितरवार | 82 | 234 | डबरा | 68 | 209 |
| | | **योग** | | | | **142** | **397** | | **114** | **396** |
| **15.** | **गुना** | गुना | 83 | 303 | राघौगढ़ | 99 | 279 | चांचौड़ा | 106 | 248 |
| | | | | | आरोन | 57 | 160 | बमोरी | 80 | 202 |
| | | **योग** | **83** | **303** | | **156** | **439** | | **186** | **450** |
| **16.** | **शिवपुरी** | खनियाधाना | 101 | 279 | पिछोर | 75 | 194 | पोहरी | 86 | 200 |
| | | बदरवास | 66 | 217 | नरवर | 64 | 192 | करेरा | 66 | 200 |
| | | | | | कोलारस | 68 | 187 | शिवपुरी | 74 | 179 |
| | | **योग** | **167** | **496** | | **207** | **573** | | **226** | **579** |
| **17.** | **अशोकनगर** | मुंगावली | 91 | 259 | अशोकनगर | 104 | 270 | ईसागढ़ | 83 | 242 |
| | | | | | | | | चंदेरी | 56 | 159 |
| | | **योग** | **91** | **259** | | **104** | **270** | | **139** | **401** |
| **18.** | **दतिया** | | | **निरंक** | | | | दतिया | 131 | 361 |
| | | | | | | | | सेवड़ा | 91 | 292 |
| | | | | | | | | भाण्डेर | 68 | 185 |
| | | **योग** | | | | | | | **290** | **838** |
| | | | | | **जबलपुर संभाग** | | | | | |
| **19.** | **जबलपुर** | सिहोरा | 60 | 191 | | **निरंक** | | मझौली | 84 | 203 |
| | | कुण्डम | 68 | 162 | | | | पाटन | 78 | 200 |
| | | पनागर | 62 | 155 | | | | शाहपुरा | 84 | 236 |
| | | जबलपुर | 80 | 212 | | | | | | |
| | | **योग** | **270** | **720** | | **0** | | | **246** | **639** |
| **20.** | **छिन्दवाड़ा** | छिन्दवाड़ा | 58 | 170 | | | | तामिया | 53 | 127 |
| | | मोहखेड़ा | 79 | 222 | सौंसर | 59 | 166 | हर्रई | 67 | 178 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | चौरई | 89 | 212 | पांढुरना | 72 | 184 | परासिया | 91 | 281 |
| | | बिछुआ | 50 | 101 | | | | अमरवाड़ा | 71 | 191 |
| | | जुन्नारदेव | 95 | 243 | | | | | | |
| | | **योग** | **371** | **948** | | **131** | **350** | | **282** | **777** |
| **21.** | **सिवनी** | सिवनी | 129 | 364 | लखनादौन | 108 | 260 | केवलारी | 78 | 270 |
| | | बरघाट | 90 | 239 | घंसौर | 77 | 209 | छपारा | 54 | 185 |
| | | | | | धनोरा | 47 | 148 | कुरई | 62 | 155 |
| | | **योग** | **219** | **603** | | **232** | **617** | | **194** | **610** |
| **22.** | **बालाघाट** | बैहर | 56 | 128 | लांजी | 77 | 219 | बालाघाट | 77 | 236 |
| | | बिरसा | 62 | 196 | किरनापुर | 83 | 231 | परसवाड़ा | 57 | 143 |
| | | वारासिवनी | 60 | 187 | कटंगी | 81 | 239 | लालबर्रा | 77 | 201 |
| | | खेरलांजी | 62 | 194 | | | | | | |
| | | **योग** | **240** | **705** | | **241** | **689** | | **211** | **580** |
| **23.** | **मण्डला** | नारायणगंज | 49 | 96 | बिछिया | 71 | 168 | घुघरी | 46 | 119 |
| | | निवास | 35 | 82 | मवई | 52 | 107 | मौहगांव | 38 | 104 |
| | | बीजाडांडी | 40 | 93 | नैनपुर | 74 | 167 | मण्डला | 81 | 231 |
| | | **योग** | **124** | **271** | | **197** | **442** | | **165** | **454** |
| **24.** | **डिण्डौरी** | शहपुरा | 69 | 149 | डिण्डौरी | 70 | 165 | समनापुर | 48 | 105 |
| | | मेंहदवानी | 46 | 96 | अमरपुर | 43 | 88 | बजाग | 46 | 95 |
| | | | | | | | | करंजिया | 42 | 102 |
| | | **योग** | **115** | **245** | | **113** | **253** | | **136** | **302** |
| **25.** | **नरसिंहपुर** | | | | **निरंक** | | | नरसिंहपुर | 86 | 208 |
| | | | | | | | | गोटेगांव | 90 | 235 |
| | | | | | | | | करेली | 64 | 171 |
| | | | | | | | | चावरपाठा | 83 | 209 |
| | | | | | | | | चीचली | 65 | 177 |
| | | | | | | | | साईखेड़ा | 58 | 151 |
| | | | | | | | | **योग** | **446** | **1151** |
| **26.** | **कटनी** | बहोरीबंद | 79 | 220 | बड़वाड़ा | 66 | 215 | विजयराघवगढ़ | 74 | 203 |
| | | रीठी | 56 | 144 | कटनी | 59 | 162 | ढीमरखेड़ा | 73 | 201 |
| | | **योग** | **135** | **364** | | **125** | **377** | | **147** | **404** |
| | | | | | **उज्जैन संभाग** | | | | | |
| **27.** | **उज्जैन** | खाचरौद | 130 | 320 | बड़नगर | 107 | 289 | महिदपुर | 120 | 303 |
| | | घट्टिया | 69 | 181 | उज्जैन | 76 | 239 | तराना | 107 | 272 |
| | | **योग** | **199** | **501** | | **183** | **528** | | **227** | **575** |
| **28.** | **नीमच** | नीमच | 66 | 261 | जावद | 73 | 289 | मनासा | 97 | 296 |
| | | **योग** | **66** | **261** | | **73** | **289** | | **97** | **296** |
| **29.** | **रतलाम** | आलोट | 90 | 239 | बाजना | 65 | 193 | रतलाम | 96 | 333 |
| | | | | | सैलाना | 47 | 152 | जावरा | 68 | 228 |
| | | | | | | | | पिपलौदा | 52 | 176 |
| | | **योग** | **90** | **239** | | **112** | **345** | | **216** | **737** |
| **30.** | **शाजापुर** | शाजापुर | 93 | 276 | मो. बड़ोदिया | 86 | 301 | शुजालपुर | 71 | 233 |
| | | | | | | | | कालापीपल | 76 | 276 |
| | | **योग** | **93** | **276** | | **86** | **301** | | **147** | **509** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.** | **आगर मालवा** | आगर | 59 | 163 | बड़ौद | 65 | 169 | सुसनेर | 55 | 159 |
| | | | | | | | | नलखेड़ा | 48 | 137 |
| | | **योग** | **59** | **163** | | **65** | **169** | | **103** | **296** |
| **32.** | **मंदसौर** | मंदसौर | 119 | 376 | सीतामऊ | 107 | 322 | गरोठ | 91 | 266 |
| | | | | | भानपुरा | 45 | 166 | मल्हारगढ़ | 78 | 225 |
| | | **योग** | **119** | **376** | | **152** | **488** | | **169** | **491** |
| **33.** | **देवास** | | **निरंक** | | देवास | 96 | 296 | बागली | 118 | 342 |
| | | | | | टोंकखुर्द | 59 | 185 | कन्नौद | 85 | 268 |
| | | | | | सोनकच्छ | 66 | 171 | खातेगांव | 72 | 213 |
| | | **योग** | | | | **221** | **652** | | **275** | **823** |
| | | | | | **सागर संभाग** | | | | | |
| **34.** | **सागर** | सागर | 81 | 307 | राहतगढ़ | 81 | 235 | मालथौन | 62 | 226 |
| | | रेहली | 91 | 296 | खुरई | 63 | 185 | बण्डा | 78 | 219 |
| | | केसली | 56 | 157 | शाहगढ़ | 47 | 155 | देवरी | 70 | 183 |
| | | | | | जैसीनगर | 62 | 200 | बीना | 64 | 171 |
| | | **योग** | **228** | **760** | | **253** | **775** | | **274** | **799** |
| **35.** | **छतरपुर** | छतरपुर | 81 | 281 | बड़ामलहरा | 79 | 247 | नौगांव | 75 | 257 |
| | | राजनगर | 86 | 271 | बकस्वाहा | 39 | 122 | लवकुशनगर | 65 | 188 |
| | | | | | बारीगढ़ | 73 | 214 | बिजावर | 60 | 173 |
| | | **योग** | **167** | **552** | | **191** | **583** | | **200** | **618** |
| **36.** | **दमोह** | जवेरा | 70 | 218 | दमोह | 89 | 277 | तेंदुखेड़ा | 63 | 168 |
| | | पथरिया | 62 | 192 | बटियागढ़ | 59 | 179 | हटा | 57 | 158 |
| | | | | | | | | पटेरा | 60 | 154 |
| | | **योग** | **132** | **410** | | **148** | **456** | | **180** | **480** |
| **37.** | **टीकमगढ़** | निवाड़ी | 71 | 225 | जतारा | 93 | 319 | बलदेवगढ़ | 80 | 293 |
| | | पृथ्वीपुर | 65 | 198 | पलेरा | 71 | 236 | टीकमगढ़ | 79 | 265 |
| | | **योग** | **136** | **423** | | **164** | **555** | | **159** | **558** |
| **38.** | **पन्ना** | | | **निरंक** | | | | गुन्नौर | 83 | 259 |
| | | | | | | | | पन्ना | 81 | 237 |
| | | | | | | | | पवई | 82 | 233 |
| | | | | | | | | शाहनगर | 84 | 245 |
| | | | | | | | | अजयगढ़ | 65 | 204 |
| | | **योग** | | | | | | | **395** | **1178** |
| | | | | | **रीवा संभाग** | | | | | |
| **39.** | **रीवा** | हनुमना | 98 | 250 | रीवा | 92 | 299 | सिरमौर | 103 | 293 |
| | | मऊगंज | 82 | 227 | रायपुर कर्चुलियान | 104 | 289 | जवा | 87 | 281 |
| | | नईगड़ी | 76 | 184 | गंगेव | 88 | 255 | त्यौंथर | 97 | 273 |
| | | **योग** | **256** | **661** | | **284** | **843** | | **287** | **847** |
| **40.** | **सिंगरौली** | | निरंक | | चितरंगी | 115 | 378 | देवसर | 97 | 355 |
| | | | | | | | | बैढ़न | 104 | 310 |
| | | **योग** | | | | **115** | **378** | | **201** | **665** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41.** | **सीधी** | सीधी | 115 | 299 | सिंहावल | 100 | 279 | रामपुर नैकिन | 90 | 282 |
| | | | | | कुसमी | 42 | 94 | मझौली | 53 | 172 |
| | | **योग** | **115** | **299** | | **142** | **373** | | **143** | **454** |
| **42** | **सतना** | मझगवां | 96 | 318 | नागौद | 93 | 305 | मैहर | 115 | 404 |
| | | सोहावल | 93 | 296 | अमरपाटन | 74 | 290 | रामपुर- | 97 | 313 |
| | | उचेहरा | 70 | 221 | रामनगर | 54 | 200 | बाघेलान | | |
| | | **योग** | **259** | **835** | | **221** | **795** | | **212** | **717** |
| | | | | | **नर्मदापुरम् संभाग** | | | | | |
| **43.** | **होशंगाबाद** | सोहागपुर | 66 | 169 | सिवनी मालवा | 95 | 214 | होशंगाबाद | 49 | 156 |
| | | केसला | 49 | 192 | पिपरिया | 53 | 153 | बाबई | 61 | 166 |
| | | | | | | | | बनखेड़ी | 53 | 140 |
| | | **योग** | **115** | **361** | | **148** | **367** | | **163** | **462** |
| **44.** | **बैतूल** | बैतूल | 77 | 246 | घोड़ाडोंगरी | 56 | 218 | प्रभातपट्टन | 65 | 180 |
| | | आमला | 68 | 188 | मुलताई | 69 | 169 | भैंसदेही | 50 | 146 |
| | | शाहपुर | 40 | 144 | आठनेर | 44 | 141 | भीमपुर | 54 | 185 |
| | | | | | चिचोली | 33 | 76 | | | |
| | | **योग** | **185** | **578** | | **202** | **604** | | **169** | **511** |
| **45** | **हरदा** | | | | **निरंक** | | | हरदा | 73 | 163 |
| | | | | | | | | टिमरनी | 73 | 191 |
| | | | | | | | | खिरकिया | 67 | 184 |
| | | **योग** | | | | | | | **213** | **538** |
| | | | | | **शहडोल संभाग** | | | | | |
| **46.** | **शहडोल** | सोहागपुर | 77 | 250 | बुढ़ार | 102 | 248 | ब्योहारी | 67 | 223 |
| | | | | | गोहपारू | 58 | 140 | जयसिंह नगर | 87 | 213 |
| | | **योग** | **77** | **250** | | **160** | **388** | | **154** | **436** |
| **47.** | **उमरिया** | | **निरंक** | | मानपुर | 83 | 306 | करकेली | 107 | 300 |
| | | | | | | | | पाली | 44 | 113 |
| | | **योग** | **0** | **0** | | **83** | **306** | | **151** | **413** |
| **48.** | **अनूपपुर** | | **निरंक** | | पुष्पराजगढ़ | 119 | 318 | अनूपपुर | 52 | 178 |
| | | | | | | | | जैतहरी | 80 | 269 |
| | | | | | | | | कोतमा | 31 | 75 |
| | | **योग** | | | | **119** | **318** | | **163** | **522** |
| | | | | | **चम्बल संभाग** | | | | | |
| **49.** | **भिण्ड** | रोन | 41 | 212 | अटेर | 87 | 337 | मेहगांव | 104 | 382 |
| | | लहार | 65 | 284 | भिण्ड | 62 | 304 | गौहद | 88 | 281 |
| | | **योग** | **106** | **496** | | **149** | **641** | | **192** | **663** |
| **50.** | **श्योपुर** | श्योपुर | 95 | 298 | | | | | | |
| | | विजयपुर | 80 | 245 | कराहल | 50 | 145 | | | |
| | | **योग** | **175** | **543** | | **50** | **145** | | **95** | **298** |
| **51.** | **मुरैना** | अम्बाह | 55 | 271 | मुरैना | 106 | 373 | सबलगढ़ | 65 | 215 |
| | | पोरसा | 53 | 248 | जौरा | 70 | 314 | कैलारस | 65 | 202 |
| | | | | | | | | पहाड़गढ़ | 64 | 182 |
| | | **योग** | **108** | **519** | | **176** | **687** | | **194** | **599** |

● राजेश पाण्डेय

# पंचम पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 : एक नजर में

तिहत्तरवें संविधान संसोधन के बाद प्रदेश में पहला त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 1994 में हुआ। इसके बाद 1999-2000, 2004-05 और 2009-10 में निर्वाचन हुआ। वर्तमान निर्वाचन 2014-15 पंचम पंचायत निर्वाचन है। वर्ष 2014-15 में 50 जिला पंचायत, 312 जनपद पंचायत, 22804 ग्राम पंचायत और 360753 पंचों का निर्वाचन हो रहा है। पंचायत निर्वाचन 3 चरण में हो रहे हैं। प्रथम चरण का मतदान 13 जनवरी को हो चुका है। द्वितीय चरण का मतदान 31 जनवरी और तृतीय चरण का 19 फरवरी को होगा।

**शपथ-पत्र देना होगा -** जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ अपनी चल-अचल सम्पत्ति, दाण्डिक प्रकरण, शैक्षणिक योग्यताओं, शोध्य और देयताओं आदि के बारे में शपथ-पत्र देना अनिवार्य किया गया है। शपथ-पत्र का सार आम जनता को देखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर अपलोड की गयी। पंच पद के अभ्यर्थी से भी घोषणा-पत्र लिये गये।

**अदेय एवं जाति प्रमाण-पत्र -** निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों से पंचायत एवं विद्युत के बकाया के संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र लिए गए। आरक्षित पदों के लिए नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों से जाति प्रमाण-पत्र लिए गए। जिन अभ्यर्थियों के पास जाति प्रमाण-पत्र नहीं थे, उनसे शपथ-पत्र लिये गये।

**मानव संसाधन -** पंचायत निर्वाचन में लगभग 5 लाख 54 हजार शासकीय अधिकारी, कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गयी। शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए लगभग 70 हजार पुलिस बल तथा लगभग 85 हजार विशेष पुलिस अधिकारी की सेवायें ली गयी हैं। लगभग 4500 पुलिस मोबाइल तैनात की गयीं।

**प्रतिभूत राशि -** जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए 4000, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2000, सरपंच के लिए 1000 और पंच के लिए 200 रुपये की प्रतिभूति राशि निर्धारित की गई है। महिला और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रतिभूति राशि की 50 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।

**नवाचार -** पंचायत निर्वाचन में पहली बार फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही पहली बार ई.व्ही.एम. का उपयोग होगा। मतदाता पर्ची का वितरण और नोटा का विकल्प भी पहली बार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

**आई.टी. का उपयोग -** पंचायत निर्वाचन में आई.टी. का व्यापक उपयोग हुआ। नाम निर्देशन-पत्रों को भरने की जानकारी के साथ ही सभी निर्देशों का आदान-प्रदान ऑनलाइन किया गया। यहां तक की प्रेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट भी ऑनलाइन भेजी। मतदान दिवस को ऑनलाइन मतदान का प्रतिशत और मतगणना दिवस को ऑनलाइन परिणाम प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

**प्रेक्षक -** पंचायत निर्वाचन में फोटोयुक्त मतदाता सूची के पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक जिले में प्रेक्षकों को दो बार भेजा गया। इसके बाद निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर पुनः प्रेक्षकों को जिले में भेजा गया। प्रेक्षकों को पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में नजर रखने और शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए।

**मतदाता जागरूकता अभियान (सेंस)-** मतदाता जागरूकता अभियान सेंस के अंतर्गत ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन सभी ग्राम पंचायत में किया गया। मॉकपोल का भी आयोजन हुआ। महाविद्यालय के विद्यार्थियों को परिसर दूत बनाया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन कर मतदान के महत्व को बताया गया।

**संचार एवं संप्रेषण प्लान -** पंचायत निर्वाचन के लिए सुनियोजित कम्युनिकेशन प्लान बनाया गया। प्रत्येक मतदान केन्द्र को कंट्रोल रूम से जोड़ने की व्यवस्था की गयी। डार्क जोन की स्थिति में विशेष रनर लगाये गए।

**आदर्श आचरण संहिता -** आदर्श आचरण संहिता के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए जिलों में निगरानी दल गठित किए गए। मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 यथा संसोधित 2014 में निर्वाचन संबंधी अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है। निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के दिन से ही प्रतिदिन कानून व्यवस्था के संबंध में ऑनलाइन जानकारी ली गई है।

**वल्नरेबल क्षेत्र एवं क्रिटिकल मतदान केन्द्र -** पंचायत निर्वाचन में पहली बार वल्नरेबल क्षेत्रों की पहचान की गयी। क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की पहचान कलेक्टर और एस.पी. द्वारा संयुक्त रूप से की गयी।

**प्रशिक्षण -** राज्य निर्वाचन आयोग में 8 से 15 दिसम्बर तक सभी रिटर्निंग ऑफिसर को पंचायत निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त संभाग, जिला और विकासखण्ड स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह से त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 के लिए आयोग द्वारा सुनियोजित व्यवस्था की गयी है।

● **वीरेन्द्र सिंह गौर**

*राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम चेक लिस्ट के कंपेडियम का विमोचन करते हुए।*

*द हंगर प्रोजेक्ट के साथ राज्य स्तर पर आयोग द्वारा सामाजिक संगठनों के प्रतिभागियों को ई.व्ही.एम. के उपयोग की जानकारी दी गई।*

*डी.पी.आई.पी. के परियोजना इकाई प्रशिक्षकों द्वारा स्व-सहायता समूह सदस्यों को पंचायत निर्वाचन की जानकारी दी गई।*

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग

## पंचायत निर्वाचन के लिए

# आदर्श आचरण संहिता

इस संहिता के प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन तिथि की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेंगे।

सभी अभ्यर्थी इस तथ्य से अवगत रहें कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर होते हैं। तब भी आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

**भाग-एक**

**अभ्यर्थियों के लिए**

**1. सामान्य आचरण -**

- किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।
- मत प्राप्त करने के लिये धार्मिक, साम्प्रदायिक, दलगत या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।
- पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जाना चाहिए, जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाना चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।
- किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए और नही स्वयं ऐसे कृत्य में भाग लेना चाहिये।
- राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव के कानून के अंतर्गत अपराध हों जैसे कि -

(i) ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पेम्पलेट या परिपत्र निकालना, जिसमें मुद्रक और प्रकाशन का नाम और पता न हो।

(ii) किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो।

(iii) किसी चुनाव-सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना।

(iv) मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले पिछले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना।

(v) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का उपहार पारितोषिक, प्रलोभन आदि देना।

(vi) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना।

(vii) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने

या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना।

(viii) मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना।

(ix) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान का प्रयास करना।

- मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जायेंगी। अतः इस अवधि में किसी अभ्यर्थी द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।
- किसी भी अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किसी व्यक्ति भी भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग डंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए।

  शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहाते या अन्य परिसम्पत्तियों का उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।
- मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके अनुक्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।
- मतदान शांतिपूर्वक तथा सुचारु रूप से संपन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए।

**2. सभाएं एवं जुलूस -**

- किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय संबंधित पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके।
- प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थकों द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने में अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों अथवा उनके समर्थकों द्वारा पास पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हों तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए।
- किसी अभ्यर्थी के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में संबंधित स्थानीय संबंधित पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण सामान्य यातायात में कोई बाधा न हो।
- जुलूस में शामिल लोगों को ऐसी सामग्री लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिनको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सके।
- प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उसके समर्थकों द्वारा किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थकों के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।
- सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन के दौरान तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना चाहिए।

**3. शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के चुनाव प्रचार में उपयोग पर प्रतिबंध -**

शासन सहित सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के स्वयं के अथवा उनके द्वारा किराये पर अनुबंधित वाहनों, विमानों एवं अन्य संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के हित को आगे बढ़ाने के लिये नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे वाहनों आदि को उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक मंत्रिगण, सांसदों, विधायकों, पंचायतों के पदाधिकारियों या अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिये।

**4. निर्वाचन घोषणा पत्र -**

- निर्वाचन घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों में निहित भावना के

अनुरूप न हो एवं जिससे निर्वाचन की शुचिता एवं निष्पक्षता किसी भी प्रकार से प्रभावित होती हो।

- राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया के शुचिता को दूषित कर या मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डाले।
- पारदर्शिता एवं सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से यह अपेक्षित है कि घोषणा पत्रों में प्रस्तावित वायदों का औचित्य एवं उनकी पूर्ति हेतु वित्तीय साधन किस प्रकार जुटाये जायेंगे इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। मतदाताओं का विश्वास केवल ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव हो।

**भाग-दो**

**शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए**

- निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक संचालन में व्यवधान उपस्थित हो (जैसे कि कर्मचारियों के स्थानांतरण) या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नयी योजना (स्कीम) या कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना।
- शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में पूर्णतः निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि रे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।
- चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री अथवा सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि का कोई पदाधिकारी किसी निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो किसी शासकीय कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।
- किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। यदि एक ही दिन और समय पर, एक से अधिक उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस अभ्यर्थी या दल को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया है।
- विश्रामगृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को उन्हीं शर्तों पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है, परन्तु किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (i) साधारणतः चुनाव के समय जो भी आम सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिए।

  (ii) यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी पंचायत क्षेत्र का भ्रमण करें (जहां कि चुनाव होने वाले हों) तो ऐसा भ्रमण चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और उसमें सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी शासकीय कर्मचारी को साथ नहीं रहना चाहिये। ऐसे दौरे के लिये शासकीय वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए।
- निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रिगण या सांसदों या विधायकों द्वारा किसी पंचायत क्षेत्र में जहां कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसंपर्क निधि या क्षेत्र विकास राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान किसी योजना या जनोपयोगी सुविधाओं का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।
- इस अवधि के दौरान ऐसे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत किसी योजना का, या नवीन नागरिक सुविधाओं या सेवाओं का, भले ही उनका निर्माण राज्य सरकार या संबंधित पंचायत द्वारा न किया गया हो या प्रस्तावित हो, शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।
- चुनाव के दौरान समाचार पत्रों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों से, शासकीय खर्चे पर ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाने चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिनसे अभ्यर्थी को उनके अथवा उसके अपने हितों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती हो।

**भाग-तीन**

**त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए**

(**नोट** - इस भाग में पंचायत से अभिप्राय, यथास्थिति, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत से है।)

- पंचायत कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से

करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी दल या अभ्यर्थी की मदद कर रहे हैं।

- **निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्त होने तक :-**

(i) पंचायत के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) पंचायत क्षेत्र में किसी भी नए भवन का निर्माण मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए।

(iii) पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए नवीन अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए। केवल पूर्व में प्रदत्त अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण पूर्व की तरह किया जा सकता है।

(iv) पंचायत क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य (उदाहरण स्वरूप, किसी सड़क को चौड़ा करना या डामरीकृत करना, खड़ंजे बिछाना, नालियों को पक्का करना, नल-जल योजना का विस्तार करना, नये हैंडपंप लगाना, नयी स्ट्रीट लाइट लगाना आदि) स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना अथवा जनोपयोगी सुविधा का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।

(v) किसी संगठन या संस्था को किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

(vi) पंचायत के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन अथवा प्रचार सामग्री पैम्पलेट जारी नहीं की जानी चाहिए जिसमें पंचायत की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी अभ्यर्थी के पत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो।

(vii) पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले परिवार समूह या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत नये हितग्राहियों का चयन नहीं किया जाना चाहिए।

● (i) आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने की दशा में ग्राम पंचायतों में प्रगतिरत कार्य यथावत् जारी रहेंगे। ऐसे कार्यों से संबंधित भुगतान के लिए ग्राम पंचायतों के खातों का संचालन ग्राम पंचायत सचिव एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) द्वारा नामांकित अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाएंगे।

(ii) आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने की अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा कोई भी नवीन हितग्राहीमूलक कार्य स्वीकृत अथवा प्रारंभ नहीं किये जा सकेंगे। इस अवधि में मजदूरों द्वारा कार्य की मांग करने पर 'शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट' में शामिल रुपये 10.00 लाख तक की लागत के सामुदायिक कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कार्यक्रम अधिकारी) जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत कर प्रारंभ किये जा सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा, जब उस पंचायत में चल रहे अथवा अपूर्ण कार्य पर मजदूरों को पर्याप्त अवसर मिलने के बाद भी कार्य के लिए इच्छुक मजदूरों की संख्या स्पष्टतः सामने आए। ऐसे कार्यों के लिये क्रियान्वयन एजेन्सी जनपद पंचायत रहेगी तथा समस्त भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कार्यक्रम अधिकारी) जनपद पंचायत द्वारा किया जावेगा।

(iii) यह व्यवस्था नव निर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रभार में आते ही स्वमेव तत्काल समाप्त हो जाएगी, किन्तु इस अवधि में जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत सामुदायिक कार्यों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व क्रियान्वयन एजेन्सी जनपद पंचायत का ही होगा।

(iv) आवश्यकता पड़ने पर उक्तानुसार व्यवस्था जिला एवं जनपद पंचायतों के परिप्रेक्ष्य में भी लागू की जानी चाहिए।

4. किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी (जैसे कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिये और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ न तो रहना चाहिये और न ही शासन अथवा पंचायत के वाहन या अन्य सुविधा का उपयोग किया जाना चाहिये।

**भाग - चार**

**प्रेक्षक**

- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को शासकीय एवं पंचायत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिये, जिससे वे अपना दायित्व प्रभावी तरीके से निभा सकें।
- निर्वचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो उनके द्वारा इसकी सूचना प्रेक्षक तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- शासकीय विश्राम गृह/भवन निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों/पदाधिकारियों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जायेंगे। जब किसी विश्राम गृह/भवन में आयोग के प्रेक्षक रुके हों तब उसमें किसी राजनैतिक दल से संबंधित किसी व्यक्ति को कक्ष आवंटित नहीं किये जायेंगे।

**म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग,**
**मध्यप्रदेश**

## जन जागरण : सेंस

# राज्य निर्वाचन आयोग का मतदाता जागरूकता अभियान

वर्ष 2014-15 में होने वाले पंचायत के आम चुनाव, मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के उपरांत पांचवें आम चुनाव हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चार लाख से भी अधिक जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रदेश के 3,41,76,999 मतदाता भाग लेंगे। इन आँकड़ों को देखने से ही प्रथम दृष्टया पंचायती राज व्यवस्था के वृहद स्वरूप का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था के बेहतर संचालन और मजबूती में प्रदेश के नागरिकों का सर्वाधिक योगदान रहा है, मतदाताओं के रूप में और पंचायतों के प्रतिनिधियों के रूप में भी। पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में पंचायतों के नागरिकों की सक्रिय सहभागिता की महती भूमिका रही है। अगर हम अपनी व्यवस्था के परिपक्व होने, परिणाममूलक होने या प्रभावी होने की कल्पना को साकार रूप लेते हुए देख रहे हैं, तो इसका श्रेय प्रदेश के जागरूक जन-मानस को अवश्य ही जाता है।

पंचायती राज व्यवस्था एक संवैधानिक व्यवस्था है और इसने शनैः शनैः अपने स्वरूप को महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में स्थापित भी किया है। इसमें प्रदेश की निर्वाचन प्रक्रियाओं की शुचिता और निष्पक्षता का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक बार आम चुनावों में कुछ-न-कुछ बेहतर तरीके और नियम प्रक्रियाएं निश्चित ही शामिल होती हैं। समय की जरूरत के अनुसार ऐसे बदलाव सहज और अपरिहार्य हैं, जो अंततः सम्पूर्ण व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आते हैं। प्रदेश के पाँचवें आम चुनावों में ऐसे कई नवाचार किये जा रहे हैं, जिसका निश्चित ही सकारात्मक प्रभाव प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था पर परिलक्षित होगा। न केवल तात्कालिक सुविधा की दृष्टि से बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव भी होंगे। निर्वाचन के संबंध में प्रक्रियात्मक बदलाव कभी भी किसी सरकारी मशीनरी की सुविधा मात्र के लिए नहीं किए जाते हैं, बल्कि यह निष्पक्ष और बेहतर निर्वाचन किए जाने के लिए किए जाते हैं। दफ्तरों में, पुस्तकों में, परिपत्रों मे बदलाव दर्ज हो जाये तो यह हमारे व्यापक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। इस बदलाव की जानकारी इसके वास्तविक हितग्राही तक पहुँचनी चाहिए। मतदाताओं को बड़ी ही शिद्दत से यह बताने की आवश्यकता है कि पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी है। मतदाता अपने मताधिकार और अपनी भागीदारी के महत्व को समझें तभी बेहतर पंचायती राज की संकल्पना को साकार किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मतदाता जागरूकता के लिए एक वृहद मतदाता जागरूकता अभियान की संकल्पना की गई, जिसका नाम है SENSE (Systematic education Nurturing & sinsilization of electorate)। पंचायत चुनावों के उम्मीदवार और मतदाता दोनों ही बहुसंख्य होने के साथ-साथ सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं। अतएव निर्वाचन प्रक्रियाओं, निर्वाचन के महत्व और निर्वाचन में उनकी भूमिका की उचित और समय पर जानकारी उपलब्ध कराना, निश्चित रूप से एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। इस दिशा में एक विचार यह भी रहा है कि मतदाता जागरूकता गतिविधियां केवल एक सरकारी कार्यक्रम की तरह संचालित होने से उनका सीमित प्रभाव होगा। अतएव इसे एक सामाजिक दायित्व का स्वरूप देते हुए, समाज के प्रत्येक ऐसे वर्ग से जोड़ने का प्रयास किया गया जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक बोध का सरोकार रखता है। SENSE के अंतर्गत मतदाता जागरूकता की प्रचार-प्रसार गतिविधियों से सभी प्रकार के निष्पक्ष गैर सरकारी संगठनों,

अशासकीय प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, मीडिया संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और स्व-सहायता समूहों इत्यादि को सीधे-सीधे सम्बद्ध किया गया। SENSE में वस्तुतः मतदाता जागरूकता के लिए वृहद गतिविधियों का आंकलन, नियोजन, रणनीति, क्षेत्र विशेष का चिन्हांकन, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण समाहित है। पूरे चुनाव अभियान के दौरान न केवल निर्वाचन से जुड़ा अमला बल्कि मतदाता जागरूकता गतिविधियों से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति और संगठन अब इस शब्द से अच्छी तरह परिचित हो चुका है।

इस बार के आम चुनावों में वैसे तो प्रक्रियात्मक सुधार बहुत से हैं, लेकिन जो जनमानस के लिए उपयोगी है, यहां उनका उल्लेख करना समीचीन है। इस बार चुनावों में पहली बार जनपद सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से किया जायेगा, पहली बार मतदाता सूची फोटोयुक्त बनाई गई है, पहली बार मतदाता को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची प्रदान की जा रही है, जो मतदान केन्द्र पर उसकी पहचान सुनिश्चित करेंगी, आयोग की अद्यतन जानकारी से युक्त अपनी वेबसाइट है, पंच घोषणा पत्र और सरपंच, जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार शपथ पत्र और उनका सार पत्र प्रस्तुत करेंगे। उम्मीदवारों को अपने नामांकन के साथ ही विद्युत और पंचायत के अदेय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होंगे, पहले की तुलना में सभी पदों के उम्मीदवारों की प्रतिभूति राशि दो गुना कर दी गई है, पहली बार मतदाताओं को यदि कोई उम्मीदवार पसंद न हो तो NOTA (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प भी उपलब्ध होगा, सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रचार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व ही समाप्त हो जायेगा। यह सब जानकारी सभी हितबद्ध व्यक्तियों तक पहुंचाना प्रचार-प्रसार अभियान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन, आयोग ने इसे सामाजिक संगठनों, स्थानीय जिला प्रशासनिक तंत्र, मीडिया संगठनों आदि के सहयोग और प्रचार के आधुनिकतम संसाधनों का उपयोग करते हुए मतदाताओं तक पहुँच बनाने का सार्थक प्रयास किया है।

## साहित्य के माध्यम से सेंस

मतदाता जागरूकता के लिए सभी पारम्परिक तरीकों का उपयोग करने के साथ ही आयोग ने दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक पहुंच के अनेकों अभिनव कदम उठाये हैं। आयोग ने मतदाता जागरूकता का सहज और सरल भाषा में साहित्य विकसित किया। 'सब जाने-पंचायत चुनाव' 'मैं पंचायत का वोटर हूं' 'मैं पंचायत चुनाव का उम्मीदवार हूं' और 'मैं ई.व्ही.एम. हूं' शीर्षक से पुस्तिकाएं प्रकाशित कर जन सामान्य को सुलभ उपलब्ध कराई गयी हैं। इनसे मतदाताओं और उम्मीदवारों की कतिपय जिज्ञासाओं का सहज रूप से समाधान हो सका है।

## सेंस में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका

हमारे प्रदेश में अनेकों गैर सरकारी सामाजिक संगठन पंचायती राज व्यवस्था के साथ निरंतर काम करते हैं। ऐसे सभी गैर राजनैतिक सामाजिक संगठनों के माध्यम से मतदाता जागरूकता और उम्मीदवारों तक उचित जानकारी पहुंच सके, इसके लिए

आयोग द्वारा प्रभावी और सार्थक कार्यवाही की गई। सामाजिक संगठनों के प्रादेशिक स्तर पर कार्यशालाओं में आयोग द्वारा प्रत्यक्षतः सहभागिता कर निर्वाचन की जानकारी प्रदान की गई। सामाजिक संगठनों की सक्रियता उनके प्रभाव और अभिरुचि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे सभी सामाजिक संगठनों को चिन्हित कर प्रचार-प्रसार गतिविधियों के संचालन में सहयोग किया गया। सामाजिक संगठनों द्वारा विकसित किये जा रहे साहित्य में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई, प्रचार-प्रसार की तैयारी में सहायता की गई। स्थानीय स्तर पर आयोजनों में चुनाव की तकनीकी जानकारी के लिए प्रशिक्षक उपलब्ध कराये गये तथा इन संगठनों द्वारा एकत्रित जन समूह के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रदर्शन कर जन समूह को जागरूक किया गया।

प्रदेश के लगभग सभी गैर सरकारी सामाजिक संगठनों ने अपनी गतिविधियों से प्रभावित किया और लाखों की संख्या में मतदाताओं तक पहुँच बनाकर उन्हें जागरूक करने का काम किया है। प्रदेश के ऐसे गैर सरकारी संगठनों की फेहरिस्त बहुत लम्बी है, लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं, जिन्होंने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अलख जगाने के लिए अपनी पूरी सक्रियता और सजगता का परिचय दिया है। उनका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। समावेश, समर्थन, द हंगर प्रोजेक्ट, पैक्स, एक्शन एड, सिनर्जी, परहित संख्या, वाटर एड, महात्मा गांधी सेवाश्रम, एकता फाउंडेशन ट्रस्ट, नवरचना समाज सेवा संस्थान, श्री जन सेवा संकल्प संस्थान, कासा, अम्बेडकर विचार मंच, जन साहस, मध्यभारत सामाजिक एवं समग्र विकास संस्थान, दलित संघ, संवाद व अन्य सिविल सोयायटी संगठनों के सहयोग से मतदाता जागरूकता की एक सुनियोजित कार्ययोजना बनाई गई। प्रादेशिक स्तर पर कार्यशालाओं के आयोजन, स्रोत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रचार सामग्री का विकास, सहज और सरल भाषा में पंचायत चुनाव की जानकारी का निर्माण, प्रेरक पोस्टर्स व नारे तथा अन्य प्रचार सामग्री विकसित करने में संस्थाओं और आयोग ने मिलकर काम किया। प्रत्येक जिले में काम करने वाले ऐसे गैर सरकारी संगठनों का चिन्हांकन किया

गया जो निष्पक्ष रूप से मतदाता जागरूकता के लिए अभिरुचि से कार्य करना चाहते थे। ऐसे संगठनों के स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का समन्वय जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ स्थापित किया गया। ग्रामों-कस्बों में आयोजित होने वाले शिविरों और आयोजनों में निर्वाचन का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक और ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन करने वाले ट्रेनर्स द्वारा सहभागिता की गई। दूर-दराज के इलाकों में भी प्रभावी तरीके से प्रचार-प्रसार में सहयोग के लिए गैर सरकारी सामाजिक संगठनों की भूमिका भी सराहनीय रही है।

जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए अनेकों नवाचार किये गये। पूरी सक्रियता और सहभागिता से सभी शासकीय विभागों के समन्वय से प्रचार-प्रसार की गतिविधियां संचालित की गई हैं। गतिविधियों के संचालन के लिए कैलेण्डर का निर्धारण किया गया। जिलों में प्रचार-प्रसार की समस्त गतिविधियों का समन्वय, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया। सभी शासकीय विभागों यथा पंचायत, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि के स्थानीय अमले को मैदानी स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियों से संबद्ध किया गया। ऐसे सभी शासकीय आयोजनों में जहां पर ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, चाहे वे स्वास्थ्य मेले हों, कृषि मेले हों, हाट-बाजार हो, जन सुनवाई शिविर हों, अथवा कोई भी सार्वजनिक समागम के अवसर हों स्थानीय प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इन अवसरों का भरपूर उपयोग किया है। जिला प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अनुसूचित बैंकों और मीडिया संगठनों का भी जागरूकता गतिविधियों में सहयोग लिया है। सभी संस्थानों ने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता का भरपूर परिचय देते हुए सदैव सकारात्मक सहयोग किया है। स्कूलों और महाविद्यालयों में युवा छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता के लिए पोस्टर, नारे, रैली, शिविर व अभियान चलाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

जनप्रतिनिधियों को पंचायत निर्वाचन की जानकारी से अद्यतन करने की दृष्टि से आयोग द्वारा सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रत्यक्षतः निर्वाचन की जानकारी दी गई और उनके समक्ष ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन किया

गया। सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों की सामान्य सभा की बैठकों में ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन किया गया।

प्रदेश में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की परियोजनाएं प्रदेश के 24 जिलों छतरपुर, सीधी, राजगढ़, गुना, टीकमगढ़, शिवपुरी, शाजापुर, पन्ना, रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर, दमोह, रीवा, सागर, शहडोल, अनूपपुर, मण्डला, डिंडोरी, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, श्योपुर व सिंगरौली में संचालित हैं। इन परियोजनाओं से हजारों महिला स्व-सहायता समूह सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं। ये महिला स्व-सहायता समूह ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पंचायतों के मतदाता भी हैं। आयोग ने इन ग्रामीण मतदाताओं से परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के माध्यम से सीधे संवाद स्थापित किया। प्रत्येक जिले के दो-दो प्रतिभागियों को आयोग के स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियों की जानकारी दी गई। इन प्रतिभागियों द्वारा जिले के स्तर पर विकासखण्ड के स्तर पर, ग्राम और स्व-सहायता समूहों के स्तर पर जाकर प्रभावी मतदाता जागरूकता शिविरों, प्रशिक्षणों और गतिविधियों का संचालन किया। उन्हीं प्रशिक्षकों के साथ जिला एवं खण्ड स्तर के निर्वाचन अमले द्वारा सहभागिता कर निर्वाचन की जानकारी प्रदान की गई तथा ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन भी किया गया। केवल इन्हीं 24 जिलों में परियोजना क्रियान्वयन इकाई के लगभग 1500 स्रोत प्रशिक्षकों द्वारा निर्वाचन अमले के साथ मिलकर लगभग 1000 जागरूकता शिविर आयोजित किए गये जिससे लगभग 15000 स्व-सहायता समूहों की 1.50 लाख महिलाएं प्रत्यक्षतः शामिल हुईं। इस प्रकार महिलाओं के एक बड़े समूह को सीधे-सीधे मतदाता जागरूकता गतिविधियों से सम्बद्ध किया गया।

आयोग में पंचायत चुनावों में ई.व्ही.एम. के उपयोग, फोटोयुक्त मतदाता सूची, फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, नैतिक मतदान, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अपील विषयों पर जन जागरूकता की दृष्टि से बहुत सी प्रचार सामग्री तैयार की गई। पोस्टर्स, रेडियो जिंगल्स, वीडियो फिल्में, एस.एम.एस. निर्मित किए गये। आकाशवाणी, दूरदर्शन और सामुदायिक रेडियो से निरंतर प्रसारण सुनिश्चित किया गया। मतदान केन्द्रों पर भी मतदाता को मतदान के तरीके की जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो डमी बैलेट यूनिट के मॉडल रखे गये। आयोग में ही एक आदर्श मतदान केंद्र भी स्थापित किया गया जिसमें समय-समय पर जनप्रतिनिधियों, आम लोगों तथा मीडिया द्वारा अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की जा सकी। मतदाता को मतदान केन्द्र पर भी किसी प्रकार की जानकारी का अभाव न हो तथा मतदान सही-सही तरीके से कर सकें इसके लिए उसे शिक्षित करने का पर्याप्त प्रबंध भी किया गया है। आयोग द्वारा तैयार की गई सभी प्रचार सामग्री आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर उपलब्ध है। इतना ही नहीं जिलों के स्तर पर यदि कोई नवाचार किया गया, कोई उपयोगी फिल्म या प्रचार सामग्री तैयार की गई, उसे भी पूरे प्रदेश में उपयोगी होने को दृष्टिगत रखते हुए वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

आयोग, जिला प्रशासन, मीडिया, सामाजिक संगठनों व अन्य सभी जागरूक प्रतिष्ठानों द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए यथा संभव प्रयास किए गये हैं। प्रचार-प्रसार के पारम्परिक तौर तरीकों से लेकर अत्याधुनिक पद्धतियों का उपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। बदलते सामाजिक परिदृश्य में मीडिया और तकनीक का सुलभ प्रादुर्भाव दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक भी सहज रूप से उपलब्ध होने लगा है। अतएव इन माध्यमों से भी मतदाताओं से सीधे सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास भी किया गया। प्रदेश में पहली बार उपयोग की जा रही ई.व्ही.एम. के संबंध में पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में प्रदर्शन सुनिश्चित किये गये। अपेक्षा है, इन सभी प्रयासों का असर इसके वास्तविक हितग्राही अर्थात मतदाता और अभ्यर्थी पर अवश्य ही पड़ेगा। जागरूक जनमत बेहतर जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगा और यह प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। हम सब अपनी इस महत्वपूर्ण जवाबदेही का निर्वहन करें, आईये मतदान करें।

***ग्राम स्वराज, मेरा वोट मेरा राज***

**● बुद्धेश कुमार वैद्य**

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग

# पंचायत निर्वाचन के लिए पिचहत्तर प्रेक्षक नियुक्त

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन 2014-15 के लिए 75 प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। भोपाल जिले के लिए श्री अमर सिंह चंदेल (मोबाइल नम्बर 9424932700) को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

इसी तरह जिला राजगढ़ के लिए श्री जे.एस. मण्डलोई (मोबाइल नम्बर 9425018822), श्री उमाकांत पाण्डे (9893345178), रायसेन जिले के लिए श्री प्रदीप खरे (9425085107), श्री शरद चंद्र शुक्ला (9425437642), सीहोर जिले के लिए श्री बी.के. रमोले (9827978450), श्री हरिशंकर रावत (9425661016), विदिशा जिले के लिए श्री जे.एन. पाण्डे (9229475437) और श्रीमती गीता मिश्रा (9425637532), इन्दौर जिले के लिए श्री नरेन्द्र कुमार त्रिवेदी (9425428520), खरगोन जिले के लिए श्री व्ही.एन. पचौरी (9329820003) और श्री रवि अतरोलिया (9425054059), खण्डवा जिले के लिए श्री अनूप तिवारी (9425150437) और श्री मदन सिंह ठाकुर (9425345067), धार जिले के लिए श्री एम.एल. बोरीवाल (9425046901), श्री बुद्धराम यादव (9425351524) और डॉ. बी.एल. जड़िया (9407436011), झाबुआ जिले के लिए श्री एस.डी. शर्मा (9826975500) और श्री के.सी. रेवाल (9827332348), बुरहानपुर जिले के लिए श्री पी.सी. व्यास (9425928202), अलीराजपुर जिले के लिए श्री एम.एस. भिलाला (9425093588) और श्री नारायण पाटीदार (9425056284), बड़वानी जिले के लिए श्री मांगीलाल जामनेर (9977763747) और श्री पी.एस. बग्गा (9425047959), ग्वालियर जिले के लिए श्री एस.पी. त्रिवेदी (0755-2559510), गुना जिले के लिए श्री अखिलेन्द्र अरजरिया (9425126744), शिवपुरी जिले के लिए श्री बी.के. शर्मा (9406970139), अशोकनगर जिले के लिए श्री एस.पी. गुप्ता (9826475966), दतिया जिले के लिए श्री पी.के. वर्मा (9425103928), जबलपुर जिले के लिए श्री राजेश जायसवाल (9827023113), छिन्दवाड़ा जिले के लिए श्री श्याम लाल यादव, सिवनी जिले के लिए श्री एस.सी. आर्य (9425041601) और बालाघाट जिले के लिए श्री जी.एस. चौहान (9039416622) और श्री आर.एस. कनेरिया (9425302476), मण्डला जिले के लिए श्री विजय आनन्द कुरील (9425150842) और श्री एस.एन. शुक्ला (9425137923) और डिण्डौरी जिले के लिए श्री अजय शर्मा को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

नरसिंहपुर जिले के लिए श्री गौतम सिंह (9425063524) और श्री एच.एन. गुरू (9425315999), कटनी जिले के लिए श्री आर.सी. दुबे (9425172989), उज्जैन जिले के लिए श्री राजेन्द्र शर्मा (9425074303) और श्री के.एम. गौतम (9425047345), नीमच जिले के लिए श्री बी.एल. कुलबी (9425033415), रतलाम जिले के लिए श्री के.पी. सेठिया (9200221323) और श्री आर.आर. गंगारेकर (9424473728), शाजापुर जिले के लिए श्री हरिसिंह शेखावत (9425148566), आगर मालवा जिले के लिए श्री शैलेन्द्र खरे (9425150437), मंदसौर जिले के लिए श्री आर.के. दीक्षित (9425149735), श्री मदन राणे (9425055746) और देवास जिले के लिए श्री रामेश्वर गुप्ता (9425057333), सागर जिले के लिए श्री एस.सी. जैन (9425021011) और श्री विजय बहादुर (9425029583), छतरपुर जिले के लिए श्री आर.बी. शर्मा (9425096922), दमोह जिले के लिए श्री शरद चरण दुबे (9200001122) और श्री उपेन्द्रनाथ शर्मा (9425122831), टीकमगढ़ जिले के लिए श्री केदार सिंह (9406913344), पन्ना जिले के लिए श्री अवधेश कुमार सिंह (9407278158) और श्री आर.के. प्रधान (9407156733), रीवा जिले के लिए श्री के.सी. मिश्रा (9425323223) और श्री मुन्शी सिंह राणा (9926200024), सिंगरौली जिले के लिए श्री के.डी. मिश्रा (9425439693), सीधी जिले के लिए श्री योगेन्द्र द्विवेदी (9425325551), सतना जिले के लिए श्री हीरालाल प्रजापति (9425009000) और श्री एम.एल. द्विवेदी (9425173797), होशंगाबाद जिले के लिए श्री जी.पी. कबीरपंथी (9425976961) और श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे (9424646335), बैतूल जिले के लिए श्री अजीत श्रीवास्तव (9407890001) और श्री मदन लाल कौरव (9425028818), हरदा जिले के लिए श्री आर.पी. विसोने (9826697399), शहडोल जिले के लिए श्री बी.एस. श्रीवास्तव (9993528333), उमरिया जिले के लिए श्री शंकर दयाल द्विवेदी (9425185781), अनूपपुर जिले के लिए श्री ए.के. मान्दलिया (9424019289), भिन्ड जिले के लिए श्री एम.पी. वत्स (9425338343), श्योपुर जिले के लिए श्री व्ही.एन. दुबे (9039711451) और मुरैना जिले के लिए श्री एल.एन. सोनी (9425369814) को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

# कैलेण्डर

# कैलेण्डर

# कैलेण्डर

# कैलेण्डर

## पंचायत निर्वाचन :

# महिला मतदाताओं और अभ्यर्थियों के संदर्भ में

पंचायतें हमारे लोकतंत्र की सबसे आधारभूत इकाईयां हैं। पंचायतें सत्ता के विकेंद्रीकरण एवं आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व की इकाईयां हैं। इन्हें स्वावलंबी बनाने के मंतव्य से पंचायतों को भारतीय संविधान के तिहत्तरवें संशोधन, 1992 द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई है।

प्राचीन काल से ही निरंतर विभिन्न महापुरुषों यथा राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिवा फुले आदि के द्वारा महिलाओं के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण बनाने के विभिन्न प्रयास किए गए हैं। इसी श्रृंखला में महात्मा गांधी ने कहा है कि "One step for woman, ten steps for nation". अर्थात यदि हम महिलाओं को प्रगति का एक कदम बढ़ाने का अवसर देते हैं तो हमारा राष्ट्र दस कदम आगे बढ़ सकता है। इसी तरह महिलाओं के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद की यह पंक्तियां अत्यंत प्रासंगिक हैं:- 'There is no chance for the welfare of the world unless the condition of woman is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing.' अर्थात जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक दुनिया में खुशहाली एवं शुभता की स्थिति नहीं हो सकती। किसी भी राष्ट्र की चहुंओर तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का भी योगदान न हो। अतः देश की प्रगति एवं प्रसन्नता में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यदि हम राष्ट्र को ऊंची उड़ान उड़ते देखना चाहते हैं तो स्त्री एवं पुरुषनुमा दोनों ही पंखों की उड़ान जरूरी है। विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों के द्वारा निरंतर महिलाओं को पंचायत निर्वाचन में उनकी भूमिका, उनका महत्व और उनके अधिकार संबंधी सुसंगत जानकारी प्रदाय करने के प्रयत्न किए जाते रहे हैं।

इस आलेख में पंचायत निर्वाचन में महिलाओं संबंधी मुख्य प्रावधानों का विवरण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन प्रावधानों का भी उल्लेख किया जा रहा है, जिनसे परिचित होना महिलाओं को एक मतदाता अथवा उम्मीदवार के रूप में लाभान्वित कर सकता है।

**महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण-(संविधान का 73 वां संशोधन)-** तिहत्तरवें संविधान संशोधन ने ग्रामीण जनमानस में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सामाजिक चेतना जाग्रत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उस ग्राम में जनसंख्या के अनुपात में पंचों के पद आरक्षित होते हैं। जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए पचास प्रतिशत या इससे कम स्थान आरक्षित किए जाते हैं, वहां कुल स्थानों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किये जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से आधे स्थान (पचास प्रतिशत) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं।

**मतदाता सूची -** कोई भी वयस्क नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया में तभी भाग ले सकता है जबकि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। सामान्यतः यह देखा गया है कि मतदान में महिला मतदाताओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत रूप से कम होता है। इसका एक कारण महिलाओं द्वारा कम संख्या में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना भी हो सकता है। कई बार विवाह पश्चात महिलाओं का स्थान परिवर्तन एवं नए स्थान पर अपना

नाम न जुड़वाना भी इसकी वजह हो सकता है। महिला मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा विभिन्न संभागीय बैठकों, वीडियो कान्फ्रेंस, कार्यालयीन आदेशों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

**जमानत राशि -** महिला आरक्षण, सामाजिक जागरूकता एवं महिलाओं की आगे बढ़ने की ललक के फलस्वरूप पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाएं भी बड़ी संख्या में भागीदारी कर रही हैं। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित होने के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र के साथ ही एक निश्चित धनराशि जमानत के रूप में रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करनी होती है। जमानत राशि नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करने के लिए आवश्यक है अन्यथा नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया जाता है। वर्तमान में महिलाएं भी रुचि पूर्वक पंचायत निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़ी हो रहीं हैं। महिलाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जमानत राशि को आधा किया गया है। महिलाओं के संदर्भ में निम्नानुसार जमानत राशि जमा की जाती है-

- वार्ड के पंच पद के लिए 100 रुपये।
- ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए 500 रुपये।
- जनपद पंचायत के सदस्य के लिए 1000 रुपये।
- जिला पंचायत के सदस्य के लिए 2000 रुपये।

**उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जा सकने वाले अभिकर्ता -** पंचायत निर्वाचन के संबंध में निम्नानुसार अभिकर्ता उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं-

**निर्वाचन अभिकर्ता -** इसकी नियुक्ति नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय या निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय की जा सकती है।

**मतदान अभिकर्ता -** इसकी नियुक्ति मतदान के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर की जा सकती है।

**गणन अभिकर्ता -** इसकी नियुक्ति मतगणना के लिए नियत स्थल पर की जा सकती है। ई.व्ही.एम. से मतगणना के लिए एक सीलिंग अभिकर्ता और एक टेबुलेशन अभिकर्ता भी नियुक्त किया जा सकता है।

उम्मीदवार किसी भी समय निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणन अभिकर्ता की नियुक्ति निरस्त कर सकता है एवं दूसरा अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। कई ग्रामीण महिलाएं यह जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं कि क्या वे भी अभिकर्ता के रूप में नियुक्त हो सकती हैं? जी हां, महिलाएं भी अभिकर्ता के रूप में नियुक्त हो सकती हैं।

**शासकीय कार्यालयों एवं कारखानों में मतदान के दिन अवकाश-**पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए सामान्य अवकाश दिया जाता है। श्रम विभाग की ओर से पंचायत क्षेत्र में उद्योग, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों को आयोग द्वारा निर्देश दिये जाते है कि उनमें कार्यरत मतदाताओं को मतदान के लिए अवकाश दिया जाए। महिला श्रमिकों को भी इस प्रावधान का लाभ उठाते हुये मतदान अवश्य करना चाहिए।

**महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं -** मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में उल्लेखित प्रावधानानुसार महिला मतदाताओं हेतु-

- जहां मतदान केंद्र सम्मिलित रूप से पुरुष तथा महिला दोनों मतदाताओं के लिए हो, वहां पीठासीन अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा की मतदान केंद्र में बारी-बारी से महिलाओं तथा पुरुषों को अलग-अलग टोलियों में प्रवेश करने दिया जाए।
- रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी किसी महिला को, महिला मतदाता की सहायता करने के लिए और महिला मतदाताओं के बाबत् मतदान लेने में पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए और उस दशा में जब किसी महिला मतदाता की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन के लिए तलाशी आवश्यक हो तो सहायिका के रूप में सेवा के लिए किसी मतदान केंद्र में नियुक्ति कर सकेगा।

**मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता पर्ची -** मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही कोई नागरिक मतदान कर सकता है। मतदान करने के लिए मतदाता की पहचान आवश्यक है। वर्ष 2014-15 में सम्पन्न होने वाले पांचवें आम निर्वाचन में मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण भी किया जा रहा है। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु कुल 23 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए गए हैं, जिनमे मतदाता पर्ची भी शामिल है। यह पर्ची उन महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगी जो मतदान तो करना चाहती हैं, किंतु उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं हो।

**महिलाओं के संदर्भ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम (SENSE)-** आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में पंचायत क्षेत्रों की महिलाओं को जागरूक किया गया। प्रदेश में कई गैर सरकारी संगठन पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयत्नशील है। गैर सरकारी सामाजिक संगठनों यथा समावेश "द हंगर प्रोजेक्ट" आदि द्वारा महिलाओं के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन संगठनों द्वारा मैदानी स्तर पर पंचायत निर्वाचन के संबंध में अधिकृत जानकारियों का प्रसार करने हेतु आयोग का सहयोग चाहा गया।

आयोग द्वारा इस संबंध में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इन संगठनों के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की गई, मार्गदर्शन दिया गया। आयोग द्वारा महिला अभ्यार्थियों के लिए प्रासंगिक बिंदुओं जैसे नाम निर्देशन पत्र का भरना एवं इसके साथ शपथ पत्र, घोषणा पत्र संलग्न करना, जमानत राशि जमा करना, आदर्श आचरण संहिता, अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन के साथ जमा

करना आदि की जानकारियां महिलाओं को उपलब्ध कराई गईं। महिलाओं को मतदान से परिचित कराया गया एवं उन्हे नैतिक मतदान हेतु प्रेरित किया गया। इन्हें आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in की भी जानकारी दी गई।

प्रदेश के 24 जिलों में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की परियोजनाएं हजारों महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संचालित हैं।

इन महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्य पंचायतों की मतदाता भी हैं। आयोग द्वारा इन महिला मतदाताओं को परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों के माध्यम से पंचायत निर्वाचन संबंधी विभिन्न जानकारियां व्यवहारिक रूप से इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई.व्ही.एम.) का प्रदर्शन करवाकर दी गई।

आयोग द्वारा विकसित प्रचार-प्रसार सामग्री में वास्तविक ग्रामीण महिलाओं की तस्वीरों को वरीयता दी गई ताकि अधिकाधिक मतदान हेतु प्रेरित हो सकें। प्रदेश के मोबाइल धारकों को मतदाता पर्ची की जानकारी, ई.व्ही.एम. का उपयोग एवं नैतिक मतदान हेतु प्रोत्साहित करने संबंधी मोबाइल संदेश प्रेषित कराये जा रहे हैं। इससे भी महिला मतदाता निश्चित रूप से मतदान हेतु प्रेरित होंगी।

SENSE के अंतर्गत कार्य करते हुए विभिन्न ग्रामीण महिलाओं से रू-ब-रू होने के पश्चात मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि विगत दो दशकों में ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्थिति को पहले से बहुत मजबूत एवं बेहतर किया है। वर्ष 1994-95 में जब पहली बार संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त करने के पश्चात पंचायत निर्वाचन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ उस समय महिलाएं इस क्षेत्र में स्वयं को आत्मनिर्भर महसूस नहीं करती थीं, वे संकोची थीं किंतु आज की स्थिति में वे प्रदेश के दूर अंचलों से राजधानी भोपाल में पंचायत निर्वाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने तथा स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए कदम धर रही हैं। वे आत्म-विश्वास से लबरेज हैं, उनमे जानने, सीखने, समझने की ललक उत्पन्न हो चुकी है। यह संकेत लोकतंत्र के लिए बहुत सकारात्मक एवं आशावादी है।

पंचायत चुनाव लोकतंत्र के बुनियादी चुनाव हैं। अतः इस नींव का मजबूत होना आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी मतदाता जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों समान रूप से भागीदार हों अपने मताधिकार का उपयोग करें।

जिस प्रकार भवन निर्माण में एक-एक ईंट का योगदान है, उसी प्रकार लोकतंत्र में एक-एक मत का महत्व है। अतः महिलाओं द्वारा भी मतदान करना आवश्यक है। अपने मताधिकार का उपयोग स्वविवेक से निर्भय होकर बिना किसी प्रलोभन के करें।

***"नारी चलो, चलो नारी,***
***तुम पर भी है देश की जिम्मेदारी,***
***बिन तुम्हारे नहीं हो सकता मतदान भारी"***

**• शीला दाहिमा**

# छब्बीस जिला पंचायतों में महिलाएं होंगी अध्यक्ष

**मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 और धारा 129 के प्रावधान के तहत प्रदेश की 51 जिला पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सभी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये 50 फीसदी पदों का आरक्षण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये कुल 26 पद महिलाओं के लिये लॉट डालकर आरक्षित किये गये। इनमें से 4 अनुसूचित जाति, 7 अनुसूचित जनजाति, 7 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये लॉट डालकर आरक्षित किये गये।**

प्रदेश की पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2014-15 के संबंध में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 12 दिसम्बर को जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) के ऑडिटोरियम में हुई। आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने निर्धारित प्रक्रिया के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न करवाई।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 और धारा 129 के प्रावधान के तहत प्रदेश की 51 जिला पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सभी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये 50 फीसदी पद का आरक्षण किया गया। इस मौके पर संचालक, वाल्मी श्री राजेश मिश्रा, संयुक्त आयुक्त पंचायत श्रीमती शिवानी वर्मा के साथ ही त्रि-स्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद थे।

इस दौरान प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में अवरोही क्रम में (अधिक जनसंख्या अनुसार) जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये आरक्षण किया गया। राज्य की सभी 51 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सभी आरक्षित वर्गों में से 50 फीसदी स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये। अन्य पिछड़े वर्गों के लिये प्रदेश की 51 जिला पंचायतों में 25 फीसदी स्थान आरक्षित किये गये। महिला वर्ग में पिछड़ा वर्ग और सभी महिला वर्ग में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का आरक्षण लॉट डालकर किया गया। राज्य की सभी 51 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिये आरक्षण की कार्यवाही में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिये 50 फीसदी स्थान आरक्षित किये गये। इस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये कुल 26 पद महिलाओं के लिये लॉट डालकर आरक्षित किये गये। इनमें से 4 अजा, 7 अजजा, 7 अपिव के लिये लॉट डालकर आरक्षित किये गये। इन वर्गों के लिये आरक्षित की गई जिला पंचायतों में से शेष रही जिला पंचायत मुक्त (अनारक्षित ) की गईं।

**अनुसूचित जाति** प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष के लिये आरक्षित 8 जिला पंचायत में से दतिया, आगर-मालवा, शाजापुर और सीहोर महिला वर्ग के लिये रहेंगी। इस प्रवर्ग में उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर और भिंड सहित कुल 4 जिला पंचायत मुक्त (अनारक्षित) रहेंगी।

**अनुसूचित जनजाति** प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये आरक्षित कुल 14 जिला पंचायतों में से 7 जिला पंचायत महिलाओं के लिये आरक्षित हुई हैं। इनमें बड़वानी, डिण्डोरी, मंडला, धार, छिंदवाड़ा, खरगोन और खंडवा जिला पंचायत शामिल हैं। इस प्रवर्ग में अलीराजपुर, झाबुआ, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, बैतूल और रतलाम इस तरह कुल 7 जिला पंचायत मुक्त (अनारक्षित) रहेंगी।

**अन्य पिछड़ा वर्ग** प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये आरक्षित कुल 13 जिला पंचायत में से 7 जिला पंचायत महिलाओं के लिये आरक्षित हुई हैं। इनमें हरदा, राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, बुरहानपुर, सतना और कटनी जिला पंचायत शामिल हैं। इस प्रवर्ग में भोपाल, मुरैना, नरसिंहपुर, विदिशा, श्योपुर और होशंगाबाद इस तरह कुल 6 जिला पंचायत मुक्त (अनारक्षित) रहेंगी।

**अनारक्षित प्रवर्ग-** जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये 16 जिला पंचायतें अनारक्षित हुईं। अनारक्षित जिला पंचायतें में से 8 जिला पंचायत महिला वर्ग के लिये आरक्षित हुई हैं। इनमें इंदौर, नीमच, रायसेन, जबलपुर, बालाघाट, सागर, गुना और सिवनी जिला पंचायत शामिल हैं। शेष अनारक्षित 8 जिला पंचायत मुक्त रहेंगी। इनमें ग्वालियर, रीवा, पन्ना, देवास, सिंगरौली, दमोह, सीधी और मंदसौर शामिल हैं।

**• चित्रा जोशी**

# आरक्षण : पंचायत आम निर्वाचन 2014-15

## अनुसूचित जाति प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित जिला पंचायत

| क्र. | जिला पंचायत का नाम | महिला के लिये आरक्षित |
|---|---|---|
| 1 | उज्जैन | मुक्त |
| 2 | दतिया | महिला |
| 3 | आगर-मालवा | महिला |
| 4 | टीकमगढ़ | मुक्त |
| 5 | शाजापुर | महिला |
| 6 | छतरपुर | मुक्त |
| 7 | भिण्ड | मुक्त |
| 8 | सीहोर | महिला |

## अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित जिला पंचायत

| क्र. | जिला पंचायत का नाम | महिला के लिये आरक्षित |
|---|---|---|
| 1 | अलीराजपुर | मुक्त |
| 2 | बड़वानी | महिला |
| 3 | झाबुआ | मुक्त |
| 4 | डिण्डोरी | महिला |
| 5 | मण्डला | महिला |
| 6 | धार | महिला |
| 7 | अनूपपुर | मुक्त |
| 8 | शहडोल | मुक्त |
| 9 | उमरिया | मुक्त |
| 10 | बैतूल | मुक्त |
| 11 | छिंदवाड़ा | महिला |
| 12 | खरगौन | महिला |
| 13 | रतलाम | मुक्त |
| 14 | खंडवा | महिला |

## अन्य पिछड़े वर्ग प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित जिला पंचायत

| क्र. | जिला पंचायत का नाम | महिला के लिये आरक्षित |
|---|---|---|
| 1 | भोपाल | मुक्त |
| 2 | हरदा | महिला |
| 3 | मुरैना | मुक्त |
| 4 | राजगढ़ | महिला |
| 5 | नरसिंहपुर | मुक्त |
| 6 | अशोकनगर | महिला |
| 7 | शिवपुरी | महिला |
| 8 | बुरहानपुर | महिला |
| 9 | विदिशा | मुक्त |
| 10 | सतना | महिला |
| 11 | कटनी | महिला |
| 12 | श्योपुर | मुक्त |
| 13 | होशंगाबाद | मुक्त |

## अनारक्षित प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित जिला पंचायत

| क्र. | जिला पंचायत का नाम | महिला के लिये आरक्षित |
|---|---|---|
| 1 | इंदौर | महिला |
| 2 | ग्वालियर | मुक्त |
| 3 | रीवा | मुक्त |
| 4 | नीमच | महिला |
| 5 | रायसेन | महिला |
| 6 | पन्ना | मुक्त |
| 7 | जबलपुर | महिला |
| 8 | देवास | मुक्त |
| 9 | सिंगरौली | मुक्त |
| 10 | बालाघाट | महिला |
| 11 | सागर | महिला |
| 12 | गुना | महिला |
| 13 | सिवनी | महिला |
| 14 | दमोह | मुक्त |
| 15 | सीधी | मुक्त |
| 16 | मंदसौर | मुक्त |

## पंचायत निर्वाचन - आरक्षण की स्थिति

| क्र. | संस्था | पदों की संख्या | आरक्षण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अ.जा. | अ.ज.जा. | अपिव | अनारक्षित | महिला |
| 1. | अध्यक्ष, जिला पंचायत | 50 | 8 | 13 | 13 | 16 | 26 |
| 2. | जिला पंचायत सदस्य | 843 | 134 | 220 | 170 | 319 | 433 |
| 3. | अध्यक्ष, जनपद पंचायत | 312 | 49 | 86 | 79 | 98 | 156 |
| 4. | जनपद पंचायत सदस्य | 6741 | 1034 | 1874 | 1303 | 2530 | 3490 |
| 5. | सरपंच, ग्राम पंचायत | 22804 | 3534 | 6384 | 5701 | 7185 | 11800 |
| 6. | पंच, ग्राम पंचायत | 360770 | 55996 | 102870 | 64794 | 137110 | 182386 |

# त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2014-15
# जनपद पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण

| क्र. | जिले का नाम | जिले में जनपद पंचायतों की कुल संख्या | जनपद पंचायत में अध्यक्ष पदों का प्रवर्गवार आरक्षण | | | | केवल महिलाओं के लिए आरक्षण की संख्या | | | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | अनारक्षित (सामान्य) | कुल | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | अनारक्षित (सामान्य) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | आगर-मालवा | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | अनूपपुर | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | अलीराजपुर | 6 | 0 | 6 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | |
| 4 | अशोकनगर | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | |
| 5 | बड़वानी | 7 | - | 7 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | |
| 6 | बालाघाट | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | बैतूल | 10 | 1 | 7 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 8 | भिण्ड | 6 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | |
| 9 | भोपाल | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 10 | बुरहानपुर | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 11 | छतरपुर | 8 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 12 | छिंदवाड़ा | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | 2 | |
| 13 | दमोह | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 2 | 2 | |
| 14 | दतिया | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | |
| 15 | देवास | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 16 | धार | 13 | - | 12 | - | 1 | 7 | - | 7 | - | - | |
| 17 | डिण्डोरी | 7 | - | 7 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | |
| 18 | गुना | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | ग्वालियर | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | |
| 20 | हरदा | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
| 21 | होशंगाबाद | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | इंदौर | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | जबलपुर | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | झाबुआ | 6 | - | 6 | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 25 | कटनी | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| 26 | खंडवा | 7 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 1 |
| 27 | खरगौन | 9 | - | 7 | - | 2 | 5 | - | 4 | - | 1 |
| 28 | मण्डला | 9 | - | 9 | - | - | 5 | - | 5 | - | - |
| 29 | मंदसौर | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 30 | मुरैना | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
| 31 | नरसिंहपुर | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 32 | नीमच | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 33 | पन्ना | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 34 | रायसेन | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | राजगढ़ | 6 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 36 | रतलाम | 6 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| 37 | रीवा | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | सागर | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | 2 | 3 |
| 39 | सतना | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | सीहोर | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 41 | सिवनी | 8 | - | 6 | - | 2 | 4 | - | 3 | - | 1 |
| 42 | शहडोल | 5 | - | 4 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| 43 | शाजापुर | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | शिवपुरी | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | श्योपुर | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 46 | सीधी | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| 47 | सिंगरौली | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 48 | टीकमगढ़ | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 49 | उज्जैन | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 50 | उमरिया | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| 51 | विदिशा | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| **योग** | | **313** | **41** | **115** | **54** | **103** | **169** | **25** | **65** | **32** | **47** |

• हेमलता हुरमाड़े

## आरंभ से अब तक

# त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन

स्थानीय स्व-शासन इकाइयों के विकास के इतिहास में वर्ष 1992 एक युगान्तकारी वर्ष माना जाएगा। इस वर्ष देश में स्थानीय शासन संस्थाओं को सुदृढ़ और कार्यक्षम बनाने के उद्देश्य से संविधान में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावशील हुआ। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों के गठन संबंधी अधिनियम एक जून 1993 से प्रभावशील हुआ। इन संशोधनों के माध्यम से उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया गया जो स्थानीय संस्थाओं के विकास में बाधक रहे हैं। जैसे निरंन्तरता से चुनाव न कराए जाना, महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों की विशेष भागीदारी न होना, वित्तीय संसाधनों का अभाव, स्थानीय नियोजन और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय संस्थाओं की विशेष भूमिका न होना आदि।

वस्तुतः इन संशोधनों के माध्यम से स्थानीय संस्थाओं को सरकार की तीसरी कड़ी के रूप में उभारने का प्रयास किया गया है। जिससे वे स्थानीय स्व-शासन के क्षेत्र में सकारात्मक और प्रभावकारी भूमिका का निर्वाह कर सकें।

संवैधानिक उपबंधों के अन्तर्गत अब स्थानीय स्व-शासन प्रणाली को संपूर्ण देश में काफी हद तक एकरूपता तथा प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। स्थानीय शासन संस्थाओं को ऐसे कुछ अधिकार और दायित्व सौंपे गए हैं, जिनकी राज्य सरकारों द्वारा आसानी से अनदेखी नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकारों के लिए अब बंधनकारी है कि संविधान के उपबन्धों के अनुसार इनका गठन करें और इनके नियमित निर्वाचन करवायें। इन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन कि लिए न्यूनतम आवश्यक प्राधिकार और शक्तियां प्रदान करें तथा संविधान की ग्यारहवीं तथा बारहवीं अनुसूचियों के सूचीबद्ध विषयों के अन्तर्गत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाएं।

तिहत्तरवें तथा चौहत्तरवें संशोधनों के माध्यम से जो अनेक प्रावधान किए गए हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान (अनुच्छेद 243-ट) इन संस्थाओं के नियमित और निरंन्तर चुनावों के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन एक फरवरी 1994 को किया गया। प्रथम राज्य

### त्रिस्तरीय पंचायतों का पांचवां आम निर्वाचन-2014-15

| क्र. | संस्था | वर्ष 2009 | वर्ष 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | जिला पंचायत | 50 | 51 |
| 2 | जिला पंचायत सदस्य | 843 | 854 |
| 3 | जनपद पंचायत | 313 | 313 |
| 4 | जनपद पंचायत सदस्य | 6816 | 6757 |
| 5 | ग्राम पंचायत | 23040 | 22856 |
| 6 | ग्राम पंचायत वार्ड | 363337 | 361550 |
| 7 | मतदान केन्द्रों की संख्या | 61650 | 67085 |

निर्वाचन आयुक्त ने फरवरी 1994 में पदभार ग्रहण किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

आयोग ने मई-जून 1994 में पंचायतों के तथा नवंम्बर 1994 में नगर पालिकाओं के निर्वाचन सम्पन्न करवाये। देश में नई संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत गठित त्रि-स्तरीय पंचायतों का निर्वाचन कराने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य था।

पंचायतों के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने निर्वाचन के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं।

**राज्य निर्वाचन आयुक्त**

1. श्री एन.बी. लोहनी 2. श्री जी.एस. शुक्ल 3. श्री ए.वी. सिंह 4. डॉ. अजीत रायजादा 5. श्री आर. परशुराम।

**पंचायत निर्वाचन -** प्रथम पंचायत आम निर्वाचन-1994, द्वितीय पंचायत आम निर्वाचन1999-2000, तृतीय पंचायत आम निर्वाचन 2004-2005, चतुर्थ पंचायत आम निर्वाचन 2009-2010, पंचम पंचायत आम निर्वाचन 2014-2015 ।

**पंचायतों का प्रथम आम निर्वाचन 1994 -** प्रथम आम निर्वाचन -1994 में राज्य में 30,922 ग्राम पंचायत, 459 जनपद पंचायत तथा 45 जिला पंचायत गठित की गईं । कुल मिलाकर 4,84,294 स्थान (पंच-4,43,429, सरपंच-30,922, सदस्य, जनपद पंचायत-9,097 तथा सदस्य, जिला पंचायत-946) के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाए गए। यह संयुक्त म.प्र. राज्य की (छत्तीसगढ़ सहित) स्थिति थी।

## पंचायत निर्वाचन-मतदाता

| क्र. | विवरण | 2014 |
|---|---|---|
| 1 | पुरुष मतदाता | 1,79,23,216 |
| 2 | महिला मतदाता | 1,62,53,346 |
| 3 | अन्य मतदाता | 501 |
| 4 | कुल मतदाता | 3,41,77,063 |

## पंचायत निर्वाचन - मानव संसाधन व्यवस्था

- पंचायत निर्वाचन में लगभग 5,54,000 शासकीय अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न निर्वाचन कार्यों हेतु तैनात किया जायेंगे।
- निर्वाचन के तीनों चरणों में लगभग 70,000 पुलिस कर्मी, होमगार्ड तथा लगभग 85,000 विशेष पुलिस अधिकारी अपनी सेवाएं देंगे।
- लगभग 4,500 पुलिस मोबाईल तैनात की जायेंगी।

निभायें मतदान की जिम्मेदारी
करें ग्राम विकास में भागीदारी।

भूल न जाना अबकी बार
देकर वोट चुनें ग्राम सरकार।

## आई.टी. का उपयोग

- पंचायत निर्वाचन में आई.टी. का व्यापक तौर पर उपयोग।
- आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in
- सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के शपथ-पत्र वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।
- नाम-निर्देशन पत्रों की जानकारी ऑन-लाइन।
- मतदान दिवस को ऑन-लाइन मतदान का प्रतिशत।
- मतगणना दिवस को ऑन-लाइन परिणाम।

## संचार और संप्रेषण प्लान

- पंचायत निर्वाचन के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र कंट्रोलरूम से जुड़ा रहेगा।
- डार्क जोन की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विशेष रनर की व्यवस्था की जायेगी।
- प्रत्येक मतदान केन्द्र पर इस कार्य हेतु एक बी.एल.सी.ओ. की नियुक्ति की जा रही है, जो संचार माध्यमों से जोनल अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट से जुड़े रहेंगे।
- सेक्टर (जोनल) अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर एवं जिला स्तरीय संचार एवं संप्रेषण दल के सतत् सम्पर्क में रहेंगे।
- कम्यूनिकेशन प्लान के माध्यम से प्रत्येक मतदान केन्द्र से संपर्क स्थापित होगा और प्रत्येक आकस्मिकताओं की सूचना प्राप्त होती रहेगी।

**पंचायतों में वार्डों तथा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या**

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 और अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं।
- प्रत्येक जनपद पंचायत में कम से कम 10 और अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं।
- प्रत्येक जिला पंचायत में कम से कम 10 और अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं।

पंचायत निर्वाचन में प्रत्येक मतदाता को 4 पद ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान करना पड़ता है। अतः आयोग ने मत पत्रों का मुद्रण 4 रंग के कागज में कराने का निश्चय किया। पंच के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मत पत्र निर्धारित किया गया।

**निर्वाचन प्रतीक** - राज्य में पंचायत निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हुए। अतः सभी अभ्यर्थी निर्दलीय थे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय दल के रूप में या मध्यप्रदेश में राज्य दल (स्टेट पार्टी) के रूप में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक (जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के आधीन आरक्षित हैं) आवंटित नहीं किए गए।

आयोग द्वारा पंचायत के सभी पदों के लिए मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की संख्या निर्धारित की गई। जिला पंचायत के सदस्य के लिए 39, जनपद पंचायत के सदस्य के लिए 23, ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए 24 और ग्राम पंचायत के पंच के लिए 10 निर्वाचन प्रतीक निर्धारित किए गए। इन प्रतीकों के अतिरिक्त 24 अन्य प्रतीक "आरक्षित" रखे गए, जिससे किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपरोक्त संख्या से अधिक अभ्यर्थी खड़े हो जाने पर भी प्रतीकों की कमी न पड़े।

## वल्नरेबल क्षेत्र एवं क्रिटिकल मतदान केन्द्र

- पंचायत निर्वाचन में प्रथम बार वल्नरेबल क्षेत्रों की पहचान कराई जा रही है।
- वल्नरेबल क्षेत्रों की पहचान उपरांत अन्य कारकों को सम्मिलित कर क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की पहचान करने की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी।
- वल्नरेबल क्षेत्रों में विश्वास बढ़ाने वाले उपायों के क्रियान्वयन के संबंध में एवं क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के मामले में विशेष व्यवस्था की जायेगी।
- इन विषयों पर पहली बार पुलिस अधिकारियों को आयोग मुख्यालय पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

## पंचायत निर्वाचन नवीन प्रयोग

- प्रथम बार ई.व्ही.एम. का उपयोग।
- प्रथम बार फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रयोग।
- प्रथम बार मतदाता पर्ची का उपयोग।
- प्रथम बार मतदाताओं के लिए नोटा का विकल्प।

**ई.व्ही.एम. का उपयोग** - जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए ई.व्ही.एम. का उपयोग किया जायेगा। सरपंच और पंच पद के निर्वाचन मतपेटी और मतपत्र से कराये जायेंगे।

**पंचायत निर्वाचन-नवीन प्रयोग** - प्रथम बार ई.व्ही.एम. का उपयोग। प्रथम बार फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रयोग। प्रथम बार मतदाता पर्ची का उपयोग।

**नोटा का विकल्प-** इस बार पंचायत निर्वाचन में पहली बार मतदाताओं के लिए नोटा का विकल्प शामिल किया गया है जो मतदाता चुनाव मैदान में उतरे किसी भी उम्मीदवार को वोट देना नहीं चाहेंगे उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक अलग बटन होगा। इस बटन को दबाकर वे किसी को भी वोट न देने का विकल्प गोपनीयता कायम रखते हुए चुन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने वोटिंग मशीन में यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा राईट टू रिजेक्ट को लेकर दिये गये फैसले के आधार पर की है।

## महत्वपूर्ण प्रावधान एवं संशोधन

# म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993

दिनांक-24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 25 जनवरी 1994 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

धारा-9 पंचायत की अवधि प्रथम सम्मेलन की नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी।

धारा-13 ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों तथा सरपंचों से मिलकर बनेगी।

धारा-14 मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिये अर्हता

- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम के मतदाता सूची में सम्मिलित है, उस पंचायत के जिसके क्षेत्र में वह ग्राम समाविष्ट है, पदधारी के निर्वाचन में मत देने के लिये अर्हित होगा।
- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जब तक इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित न हो पंचायत के पदधारी के रूप में (निर्वाचित) किये जाने के लिये अर्हित होगा। अभ्यर्थी की आयु-पंचायत निर्वाचन के लिये 21 वर्ष रखी गई है।

धारा-17 (5) राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात् ग्राम पंचायतों के उप सरपंच का निर्वाचन तुरंत ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, करवायेगा। संशोधन दिनांक 30 अगस्त 2005

धारा-19 निर्वाचन की अधिसूचना प्रत्येक निर्वाचन को विहित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित।

धारा-20 प्रथम सम्मेलन और पदावधि धारा 19 के अधीन (प्रकाशित) प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जायेगा।

धारा-21 'क' ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना (म.प्र. पंचायत राज संशोधन अधिनियम-5-1999)

धारा-25(1) राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात् जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन तुरन्त ऐसी रीति में, जैसे कि विहित की जाये, करवायेगा। संशोधन दिनांक-30 अगस्त 2005

धारा-32(1) राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात जिला पंचायतों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन तुरन्त ऐसी रीति में जैसे कि विहित की जाये, करवायेगा। संशोधन दिनांक-30 अगस्त 2005

धारा-36 पंचायत का पदधारी होने के लिये निरर्हतायें:- म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36। विद्युत का अदेय प्रमाण पत्र शोध्य संबंधी प्रावधान। निरर्हता-संशोधन दिनांक-29 अक्टूबर 2014।

धारा-40 पंचायत के पदाधारियों का हटाया जाना।

धारा-42 राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां:- पंचायतों के लिये कराये जाने वाले समस्त निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन तथा नियंत्रण की समस्त शक्तियां राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी।

धारा-42 'क' अधिकारियों और कर्मचारीवृंद को नियुक्त करने और उनके कर्तव्य और कृत्यों का निर्धारण करने की शक्ति।

### म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम 1995

- नाम निर्देशन पत्रों के साथ सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र एवं पंच पद के अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान (दिनांक-20.09.2004) से किया गया। इस संबंध में म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम-1995 के नियम 31 के पश्चात् 31 क जोड़ा गया।
- पंचायत निर्वाचन नियम-1995 के नियम 33 प्रतिभूति निक्षेप राशि में वृद्धि (दिनांक-21.09.2012)
- पंचायत निर्वाचन नियम-1995 के नियम 9 प्ररूप 1 में संशोधन (फोटोयुक्त मतदाता सूची)
- पंचायत निर्वाचन नियम-1995 के नियम 50 के पश्चात् 50 'क' निर्वाचनों में मतदान मशीनों (दिनांक-25 मार्च 2014) का उपयोग
- पंचायत निर्वाचन नियम-1995 के अध्याय 9 के पश्चात् 9 'क' मतदान मशीनों द्वारा मतदान (दिनांक-25 मार्च 2014) नियम 72 के पश्चात् नियम 72 क से नियम 72 'प' तक नियम 77 के पश्चात् नियम 77 क से 77 'ग' तक
- निर्वाचन परिणामों तथा गणना के प्ररूपों में संशोधन (ई.वी.एम. के उपयोग पर)।
- **नाम निर्देशन पत्र के साथ :-**

1. शपथ-पत्र के प्रारूप में संशोधन एवं शपथ पत्र का सार विवरण भी प्रस्तुत किया जाना है।
2. घोषणा-पत्र के प्रारूप में संशोधन तथा उसका सार विवरण प्रस्तुत किया जाना है।
   घोषणा-पत्र के प्रारूप में संशोधन तथा उसका सार विवरण प्रस्तुत किया जाना है।
3. जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना और जाति प्रमाण-पत्र के अभाव में जाति समर्थन में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान।
4. चेक लिस्ट प्रस्तुत।

● **प्रदीप शुक्ला**

# चुनाव प्रक्रिया की दक्षता के लिए प्रशिक्षण

पंचायत निर्वाचन को प्रभावी एवं निष्पक्ष रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारियों की आवश्यकता होती है। अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी सामान्य प्रक्रिया से भली-भांति परिचित रहते हैं, किन्तु प्रत्येक निर्वाचन अपने आप में कुछ न कुछ भिन्नता लिए होते हैं, अतः चुनाव से जुड़े समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया एवं चुनाव से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्व से ही उक्त कार्य में दक्ष हों तो भी उन्हें प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। जिससे निर्वाचन प्रक्रिया के सूक्ष्म बिन्दुओं का अध्ययन एवं पुनः स्मरण कर दक्षता प्राप्त की जा सके।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2014-15 ईव्हीएम से कराये जाने के निर्णय के फलस्वरूप राज्य निर्वाचन आयोग में प्रशिक्षण शाखा का गठन माह मार्च 2014 में किया गया। प्रशिक्षण शाखा द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित प्रशिक्षण एवं बैठकें सफलतापूर्वक करवाई गयीं। आयोग स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर तथा विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया एवं अन्य संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है।

आयोग स्तर पर प्रत्येक जिले से 15 मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित किये गये। जिन्हें राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आयोग द्वारा अन्य अधिकारियों जैसे उप जिला निर्वाचन अधिकारी, आयुक्त एवं उपायुक्त नगर निगम, संभागीय उपायुक्त (विकास/राजस्व) प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी

*(शेष अगले पृष्ठ पर)*

## प्रशिक्षण सत्र

- **दिनांक 08.12.2014 से दिनांक 15.12.2014 तक सभी रिटर्निंग ऑफिसर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (जिला पंचायत) के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये।**
- **माह अक्टूबर 2014 में भोपाल एवं संभागीय मुख्यालयों पर निर्वाचन से संबंधित 25 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया।**
- **समस्त प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी अपने-अपने जिलों में मास्टर ट्रेनर का कार्य भी करेंगे।**

# पंचायत चुनाव में होगी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन और नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जायें। श्री परशुराम ने छह जनवरी को निर्वाचन के दौरान की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि गत पंचायत आम निर्वाचन से अधिक फोर्स का डिप्लॉयमेण्ट इस बार किया जायेगा।

श्री परशुराम ने कहा कि पुलिस की मोबाइल टीम पीठासीन अधिकारी के साथ ही मतदान अधिकारी के मोबाइल नम्बर के संपर्क में भी रहें। उन्होंने बताया कि बालाघाट जिले के विकासखण्ड लांजी, किरनापुर, बैहर और वारासिवनी में अपरान्ह 2 बजे तक ही मतदान करवाया जायेगा।

**सुरक्षा अमला होगा तैनात -** पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस बार पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रथम चरण में 12 विशेष सशस्त्र बल कंपनी, 1100 अन्य इकाई का बल, द्वितीय चरण में 15 कम्पनी, 2700 अन्य इकाई का बल और तृतीय चरण में 17 कंपनी और 3100 अन्य इकाई का बल डिप्लॉय किया जायेगा। इसके साथ ही 70 राजपत्रित अधिकारी की ड्यूटी भी लगायी जायेगी। प्रत्येक जिले में 30 पुलिस बल का एक दल जिला मुख्यालय पर भी उपलब्ध रहेगा। यह बल त्वरित कार्रवाई के लिए तुरन्त उपलब्ध करवाया जायेगा। यह पहली बार किया जा रहा है।

**1195 वल्नरेबल पॉकेट -** सभी जिलों में 1195 वल्नरेबल पॉकेट चिन्हित किये गए हैं। इनमें 520 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के बाद 220 प्रकरणों में जिला बदर और 4 प्रकरण में एन.एस.ए. की कार्यवाही की गयी है।

**एक लाख 29 हजार 817 लीटर शराब जप्त -** आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के बाद अभी तक एक लाख 29 हजार 81 लीटर अवैध शराब जप्त की जा चुकी है। इसका कुल मूल्य 37 लाख 74 हजार 626 रुपये है। इस कार्यवाही में 2579 दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है।

● **ऋतु पाण्डेय**

---

*(पिछले पृष्ठ का शेष)*

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों को निर्वाचन से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिये गये। आयोग द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिले के जोनल अधिकारी, मतगणना सुपरवाइजर तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। ई.व्ही.एम. की कार्य प्रणाली संबंधी बेसिक प्रशिक्षण सर्वप्रथम 3 एवं 4 फरवरी 2014 को आयोग कार्यालय में दिया गया। इन प्रशिक्षणों में मशीन के विभिन्न हिस्सों के कार्य सुरक्षा, प्रणाली एवं उपयोग करने की विधि संबंधी जानकारियां दी गयीं। तत्पश्चात दिनांक 25 अप्रैल से 3 मई 2014 तक ई.व्ही.एम. संबंधी प्रशिक्षण पुनः आयोजित किये गये। इसमें समस्त जिलों से मास्टर ट्रेनर्स, उपायुक्तों (राजस्व) तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायतों के निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिये गये। पंचायत निर्वाचन के लिए पुनः समस्त विषयों पर प्रशिक्षण 09 से 15 दिसम्बर 2014 तक 8 जिलों के कलेक्टर्स, (झाबुआ, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, सीधी, अनूपपुर, मण्डला एवं डिण्डौरी) एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों समस्त उपजिला निर्वाचन अधिकारियों, सहायक कलेक्टर्स तथा रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिये गये। इसमें पंचायत निर्वाचन के लिए ई.व्ही.एम. के उपयोग संबंधी अद्यतन निर्देश भी दिये गये। दिनांक 23 दिसम्बर 2014 को पंचायत निर्वाचन के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त किये गये प्रेक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसके साथ प्रशिक्षण सत्रों का समापन हुआ।

● **गिरीश शर्मा**

# गणतंत्र दिवस समारोह में होगी मतदाता जागरूकता (सेंस) से संबंधित झाँकी

गणतंत्र दिवस समारोह में मतदाता जागरूकता (सेंस) से संबंधित झाँकी प्रदर्शित की जाये। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह निर्देश नगरपालिक निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर और छिन्दवाड़ा के नगर निगम कमिश्नर की बैठक में दिये। श्री आर. परशुराम ने कहा कि इस झाँकी को शहर और गाँव में घुमाया भी जाये।

श्री परशुराम ने कहा कि रहवासी समिति के पदाधिकारियों से समिति के सदस्यों और उनके परिवारजन को मतदान के लिए प्रेरित करने के संबंध में चर्चा करें। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों में निःशक्तजन और बुजुर्ग मतदाताओं को सहूलियत से मतदान की सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायें।

## पंचायत निर्वाचन के लिये श्रमिकों को अवकाश

प्रदेश के श्रमिक आगामी 13 जनवरी, 31 जनवरी और 19 फरवरी, 2015 को होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें, इसके लिये श्रमायुक्त ने मतदान-दिवस के दिन अवकाश घोषित करने के निर्देश दिये हैं। मतदान का समय प्रातः 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। श्रमायुक्त ने जारी परिपत्र में कहा है कि कारखाना प्रबंधन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम-1948 का प्रयोग करते हुए मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करें, जिससे वे अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने, जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिये 2-2 घंटे की सुविधा दें। अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से 2 घंटे पूर्व बंद हों और दूसरी पाली निर्धारित समय से 2 घंटे बाद शुरू की जायें। इसी तरह निरंतरित प्रक्रिया वाले कारखाने श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की कटौती न करते हुए बारी-बारी से मतदान के लिये पर्याप्त समय प्रदान करें। दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के प्रबंधक निर्धारित दिन अवकाश न रखते हुए उसके स्थान पर मतदान-दिवस पर अवकाश रखें। ऐसी दुकान और संस्थान, जिनका अवकाश दिवस निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने की अनुमति प्रदान करें।

**मतदान करें सब नर-नारी**
**सबकी है ये जिम्मेदारी।**

**छोड़छाड़ के सारे काम**
**पहले करना है मतदान।**

**घर-घर अलख जगायें**
**सभी मतदान करने जायें।**

## प्रथम चरण में जिला पंचायत के 26 और जनपद पंचायत के 27 वार्डों में लगेगी अतिरिक्त बीयू

पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के प्रथम चरण में जिला पंचायत के 26 और जनपद पंचायत के 27 वार्ड में 15 अथवा उससे अधिक अभ्यर्थी हैं। इन वार्डों में अतिरिक्त बैलेट यूनिट (बीयू) लगाई जायेंगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने बताया कि जिला पंचायत के लिये राजगढ़ जिले के वार्ड क्रमांक 8, गुना जिले के वार्ड 2, 3, आगर-मालवा के वार्ड 7, छतरपुर के वार्ड 16, दमोह के वार्ड 5, टीकमगढ़ के वार्ड 15, रीवा के वार्ड 24, 27, 30, सीधी जिले के वार्ड 7, 8, सतना जिले के वार्ड 2, 3, 8, 23, 24, 25, 26, होशंगाबाद जिले के वार्ड 10, श्योपुर जिले के वार्ड 8 और 9 तथा मुरैना जिले के वार्ड क्रमांक 1, 2, 4 एवं 5 में 15 अथवा उससे अधिक अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं।

इसी तरह जनपद पंचायत के लिये जिला राजगढ़ के ब्यावरा विकासखंड में वार्ड 1, 11, 23, 24, 25 तथा राजगढ़ में वार्ड 25, गुना जिले के विकासखंड गुना में वार्ड 9, शिवपुरी जिले के विकासखंड बदरवास में वार्ड 10, अशोकनगर जिले के विकासखंड मुंगावली में वार्ड 10, 15, 17, 18, जबलपुर जिले के विकासखंड जबलपुर में वार्ड 4, बालाघाट जिले के विकासखंड बेहर में वार्ड 2, टीकमगढ़ जिले के विकासखंड निवाड़ी में वार्ड 17 तथा विकासखंड पृथ्वीपुर में वार्ड 2, 3, 6, 14, 18, रीवा जिले के विकासखंड हनुमना के वार्ड 20 तथा विकासखंड मऊगंज के वार्ड 12, सीधी जिले के विकासखंड सीधी में वार्ड 7 और सतना जिले के विकासखंड मझगवां में वार्ड 1, 2, 21 एवं विकासखंड उचेहरा में वार्ड क्रमांक 7 में 15 अथवा उससे अधिक अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं।

● राजेश पाण्डेय

## तीन बैलेट यूनिट के साथ करें मॉक पोल

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहाँ पर 15 या उससे अधिक अभ्यर्थी हैं, वहाँ तीन बैलेट यूनिट का उपयोग किया जायेगा। इस स्थिति में ऐसे स्थानों पर तीन बैलेट यूनिट के साथ कम से कम 10 ई.व्ही.एम. सेट पर मॉक पोल किया जाये। प्रत्येक मॉक पोल में न्यूनतम 500 वोट डाले जायें। मॉक पोल के रिजल्ट से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करवाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

● राजेश पाण्डेय

# इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े आम सवाल

**पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। ईव्हीएम मशीन का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि लाखों मतपत्रों की छपाई की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ एक मतपत्र छापना होता है जिसे मशीन के ऊपर चिपकाया जाता है। मतपत्र न छापने के कारण कागज, छपाई, ढुलाई, भंडारण का खर्च तो बचता ही है दूसरे मतगणना भी आसानी से सम्पन्न हो जाती है। इस पंचायत चुनाव में मतदाता प्रथम बार ईव्हीएम का उपयोग करेंगे अतः इसके उपयोग को लेकर कई सवाल उठना स्वाभाविक हैं इन्हीं संभावित सवालों के जवाब इस आलेख में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।**

**❑ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? यह परंपरागत मतदान के मामले में अलग ढंग से काम करती है?**

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दो हिस्से होते हैं - कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। दोनों 5 मीटर लंबे तार से जुड़ी होते हैं। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी के पास होती है और बैलेटिंग यूनिट अलग स्थान पर रखी होती है। मतदान पत्र जारी करने की जगह चुनाव अधिकारी बैलेट बटन दबाता है। ऐसा करने से मतदाता के लिये नीला बटन दबाना संभव हो जाता है और वह अपनी पसंद के मतदाता को वोट दे पाता है।

**❑ अगर किसी इलाके में बिजली न हो तो ईव्हीएम का इस्तेमाल कैसे किया जाए?**

ईव्हीएम साधारण 6 वोल्ट की अल्कलाइन बैटरी से चलती है। अतः बिना बिजली के कनेक्शन के इन मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है।

**❑ ईव्हीएम के जरिये अधिकाधिक कितने मत डाले जा सकते हैं?**

ईव्हीएम अधिकाधिक 3,840 वोट दर्ज कर सकती है। सामान्य रूप से किसी मतदान केंद्र पर 1,500 से अधिक मतदाता नहीं होते, अतः इन मशीनों की क्षमता पर्याप्त मानी जाती है।

**❑ ईव्हीएम अधिकाधिक कितने उम्मीदवारों के लिये मतदान दर्ज कर सकती है?**

ईव्हीएम अधिकाधिक 64 उम्मीदवारों के लिये वोट दर्ज कर सकती है।

**❑ अगर किसी मतदान केंद्र की मशीन खराब हो जाए तो क्या होगा?**

हर 10 मतदान केन्द्र पर एक खण्ड अधिकारी रखा जाता है जिसके पास अतिरिक्त कलपुर्जे होते हैं। वह पुरानी की जगह नयी मशीन लगा सकता है। तब तक जितने भी वोट दर्ज किए गए होंगे वे मशीन की मेमोरी में सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार दुबारा मतदान कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

**❑ इस मशीन की कीमत क्या है? क्या इनका इस्तेमाल महंगा नहीं पड़ता?**

एक ईव्हीएम (एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेटिंग यूनिट और एक बैटरी) 5,500 रुपये की आती है जो मतदान के समय खर्च होने वाले कागज की तुलना में काफी सस्ती पड़ती है।

**❑ अपने देश में अशिक्षितों की काफी अधिक संख्या को देखते हुए क्या यह निरक्षर मतदाताओं के लिये समस्याजनक नहीं है?**

परंपरागत तरीके के मतदान में मतदाता चुनाव चिह्न के पास वाले उम्मीदवार के पास निशान लगाता है। फिर मतपत्र को मोड़कर मतदान बक्से में डालता है। ईव्हीएम में सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है। असलियत यह है कि ग्रामीण मतदाताओं ने इन मशीनों के जरिये मतदान पसंद किया है।

**❑ क्या ईव्हीएम के इस्तेमाल से मतदान केंद्रों पर कब्ज़ा करने को रोका जा**

**सकता है?**

ईव्हीएम से हर मिनट केवल 5 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। मतपत्रों के इस्तेमाल में शरारती लोग सभी मतपत्र आपस में बांट कर, उन पर मोहर लगा कर मतपेटियों में डाल देते हैं और पुलिस के आने से पहले भाग जाते हैं। ईव्हीएम में शरारती लोग आधे घंटे में अधिकाधिक 150 वोट दर्ज कर सकेंगे, तब तक पुलिस के पहुंच जाने की संभावना होती है। साथ ही, किसी अनाधिकृत व्यक्ति को देखकर चुनाव अधिकारी कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबा सकते हैं। जब तक क्लोज बटन दबा होगा, तब तक कोई वोट दर्ज नहीं हो पाएगा।

❑ **क्या संसद और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर इन मशीनों का इस्तेमाल संभव है?**

हाँ।

❑ **ईव्हीएम के प्रयोग से क्या लाभ हैं?**

सबसे बड़ा लाभ तो यह कि इसके होते लाखों मतपत्रों की छपाई की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक मतपत्र छापना होता है जिसे मशीन के ऊपर चिपकाते हैं। अन्यथा हर मतदाता को एक मतपत्र दिया जाता है। इससे कागज़, छपाई, ढुलाई, भंडारण और वितरण का खर्च बचता है। दूसरे, मतगणना आसान हो जाती है और 2-3 घंटे के अंदर परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं जबकि पारंपरिक तरीके से 30-40 घंटे लग जाते हैं। तीसरे, मत अवैध नहीं होते।

❑ **मतपेटिंग के द्वारा मतदान में मतपत्रों को मिलाकर गणना की जाती है। क्या ईव्हीएम से भी ऐसा करना संभव है?**

हर ईव्हीएम में दर्ज परिणामों को एक बड़ी (मास्टर) मशीन में डाला जा सकता है जिसके कारण कुल परिणाम मिलेगा लेकिन हर क्षेत्र के अलग परिणाम नहीं मिलते।

❑ **कंट्रोल यूनिट अपनी मेमोरी में परिणाम कितने दिन तक रखती है?**

कंट्रोल यूनिट मेमोरी में परिणाम दस वर्षों तक या इससे भी ज्यादा समय तक रख सकती है।

❑ **अदालतें मतों की फिर से गिनती के आदेश दे सकती हैं। क्या ईव्हीएम को लंबे समय तक रखा जा सकता है? क्या बैटरी लीक नहीं कर जाएगी या मशीन में खराबी नहीं आ जाएगी?**

बैटरी की जरूरत सिर्फ मशीन को मतदान और गणना के समय सक्रिय बनाने के लिये पड़ती है। बैटरी हटा लिये जाने के बाद भी माइक्रोचिप सुरक्षित बनी रहती है।

❑ **वोटर को कैसे पता चलेगा कि मशीन ठीक काम कर रही है और वोट दर्ज हो गया है?**

मतदाता जैसे ही नीला बटन दबाता है, बाईं ओर एक लाल बल्ब चमक उठता है और उसी समय लंबी बीप आवाज सुनाई पड़ती है। इस प्रकार मतदाता को आश्वस्त करने के लिये दोहरी (दृश्य-श्रव्य) व्यवस्था है।

❑ **क्या यह संभव है कि मशीन में ऐसा प्रोग्राम डाल दिया जाए कि सारे वोट एक ही उम्मीदवार के खाते में दर्ज हों?**

इन मशीनों में जिन चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें आयात के समय ही सील कर दिया जाता है। अतः मशीनों में ऐसे प्रोग्राम डाले जाने की संभावना नहीं रह जाती कि वोट एक ही व्यक्ति, दल और एक दिशा में दर्ज हों।

❑ **मतदान के दिन ही कुल पड़े वोटों की संख्या कैसे पता चल जाती है?**

हर मशीन में एक टोटल बटन लगा होता है। इसे दबाने से उस समय तक पड़े मतों की संख्या का पता चल जाता है हालांकि उम्मीदवारों को मिले मतों का पता नहीं चलता।

❑ **हर बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों की जगह होती है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में 10 उम्मीदवार हैं और मतदाता 11 से 16 तक के बीच का कोई बटन दबा दे तो क्या वे वोट बेकार जाएंगे?**

उम्मीदवार सं. 11 से 16 तक पर इस्तेमाल से पहले ही एक मारक लगा दिया जाएगा। साथ ही ऐसे भी उपाय कर दिए जाएंगे कि 11 से 16 तक के लिये दिए गए वोट दर्ज न हों। उम्मीदवारों के स्विच 10 तक सेट कर दिए जाएंगे। उक्त बातों को देखते हुए 11 से 16 तक के नंबर पर न तो कोई वोट पड़ पाएंगे और न ही दर्ज हो सकेंगे।

❑ **मतपेटियों पर पहचान उत्कीर्ण कर दी जाती है जिससे उनके बदले जाने की शिकायत नहीं की जा सकती। क्या इन मशीनों में भी ऐसी कोई व्यवस्था है?**

हां। हर कंट्रोल यूनिट की एक अलग पहचान संख्या होती है। यह संख्या इन मशीनों पर न मिटने वाली स्याही के मार्करों से लिखी होती है।

❑ **क्या इन मशीनों में ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे एजेंट इस बात से संतुष्ट हो सकें कि मशीनों में पहले से ही कोई वोट दर्ज नहीं है?**

हां। मतदान शुरू होने से पहले पीठासीन अधिकारी मौजूद एजेंटों के सामने बटन दबा कर यह प्रदर्शित करता है कि मशीन में पहले से छिपे वोट दर्ज नहीं हैं। इसके बाद वह इन एजेंटों से कहता है कि वे अपने-अपने वोट दर्ज करके मशीन की आजमाईश करें। इसके बाद पीठासीन अधिकारी मशीन का क्लीयर बटन दबा कर एजेंटों के मत हटा देता है और इसके बाद असली मतदान शुरू हो जाता है।

❑ **इस संभावना से क्या इंकार किया जा सकता है कि मतदान बंद होने के बाद और गणना से पहले कुछ और वोट दर्ज कर दिए जाएं?**

जैसे ही आखिरी मतदाता अंतिम वोट रिकार्ड करता है, प्रभारी अधिकारी क्लोज बटन दबा देता है। इसके बाद मशीन पर कोई वोट दर्ज नहीं होता। साथ ही, मतदान बंद होने पर, वह वहां मौजूद एजेंटों को पड़े हुए मतों का विवरण देता है। गणना होते समय इस विवरण से मिलान किया जाता है और अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो यह मतगणना अधिकारी की जानकारी में लाई जाती है।

# पंच-परमेश्वर की प्राचीन व्यवस्था

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत को सुदृढ़ करने के प्रयास किये तो उसने भारत की परम्परागत संस्थाओं को सबसे पहले खत्म किया। इन संस्थाओं और संगठनों में सर्वप्रमुख थी। यहाँ की पंचायत व्यवस्था। सन् 1813 से 1823 तक ब्रिटिश पार्लियामेन्ट को विभिन्न स्रोतों से जो प्रतिवेदन दिये गये उनमें साफ बताया गया कि अंग्रेजों ने हमारी उस पंचायत-व्यवस्था को कैसे खत्म किया जो अलिखित संविधान के तौर पर सबको मान्य थी तथा जो लोक कल्याण के वे सभी काम करती थीं जो वर्तमान में सोशल सेक्टर के तहत आते हैं। हमारी पंचायतें न केवल स्थानीय विवादों को ही सुलझाती थीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यापक और विस्तृत काम स्वयंसेवा की अवधारणा से संचालित करती थीं।

'भारत में अंग्रेजी राज' के लेखक सुन्दरलाल ने अंग्रेजों के इन कारनामों पर अधिकृत प्रकाश डाला है। उन्होंने अपने निष्कर्ष जिन पश्चिमी विद्वानों के प्रतिवेदनों के आधार पर निकाले हैं, उनमें प्रमुख हैं जर्मन विद्वान मैक्समूलर जिन्होंने बंगाल में अध्ययन किया, दक्षिण में मद्रास प्रेसीडेन्सी के आला अफसर ए.डी. केम्पबेल तथा इतिहास लेखक लुडलो जिन्होंने भारत के अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के सदस्य केट हार्डी ने भी भारत की पंचायत-व्यवस्था तथा अंग्रेजों द्वारा उसे खत्म करने के षडयंत्रों का पर्दाफाश किया है।

मैक्समूलर ने लिखा था कि "ऋग्वेद का अध्ययन करने के लिये संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से मैंने जो स्वाध्याय किया उससे भारत की प्राचीन व्यवस्था की परतें खुलती चली गईं। इस देश की सामूहिक चेतना कितनी प्रबुद्ध रही होगी जिसने यूरोपीय या ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के सदियों पहले एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो सर्वमान्य थी। इस व्यवस्था की मूल इकाई थी पंचायत। अकेले बंगाल में पच्चीस हजार पंचायतों के बारे में तो मुझे प्रत्यक्षतः पता है लेकिन उनकी संख्या हो सकता है कि इससे भी कई गुनी हो।"

मैक्समूलर को यह जानकर अचरज हुआ था कि इन पंचायतों की नियुक्ति कोई नहीं करता था। उन्हें किसी निर्वाचन-प्रणाली का भी ज्ञान नहीं था। जिसके द्वारा इन पंचायतों का गठन होता रहा हो। लेकिन चूंकि सभी पंच वृद्ध होते थे अतः संभवतः गाँव के बुजुर्ग लोगों को पंच मानकर उन्हें व्यवस्थापक मान लिया जाता था। मैक्समूलर का कथन है कि भारत में उम्रदराज लोगों का आदर करने की प्रथा और परम्परा है। परिवारों में कोई भी काम घर के बुजुर्ग लोगों की अनुमति के बिना नहीं किया जाता है। उसमें शादी जमीन-जायदाद, खनिज-व्यापार और उत्तराधिकार आदि जीवन की सारी गतिविधियाँ शामिल हैं। शायद इसी प्रथा से प्रेरणा लेकर सामुदायिक स्तर पर पंचायत का जन्म हुआ होगा, क्योंकि यदि घर के बड़े-बूढ़े बैठकर घरेलू मामलों को सुलझा सकते हैं तो फिर गाँव के वरिष्ठजन इकट्ठे होकर गाँव के मामले क्यों नहीं सुलझा सकते। आश्चर्य की बात तो यह है कि बंगाल में चाहे नवाब की सल्तनत हो या फिर राजाओं का शासन, लेकिन समाज की व्यवस्था में अंतिम निर्णय पंचायतें ही करती थीं। पंचों के चरित्र पर लोगों को इतना विश्वास था कि उन्हें 'पंच-परमेश्वर' कहा जाता था।

कैम्पवेल ने मद्रास प्रेसीडेन्सी के अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है कि सिर्फ मेरे प्रभार में दस लाख की आबादी में बीस-बाईस हजार पंचायतें थीं जो कई-कई ग्रामों के समूहों का काम देखती थीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग ऐसी पंचायतों के निर्णय को कैसे मान लेते थे जिनके पीछे कोई सरकारी अधिकार नहीं था। गाँवों के लोग परम्परागत धंधे करते थे जैसे कि बढ़ई का परिवार बढ़ईगीरी का काम ही करता था और दर्जी की संतान कपड़े सिलने का धंधा ही करती थी। कुम्हार, सुनार, लुहार, चर्मकार आदि परंपरागत स्थानीय शिल्पी थे जिन्हें अपने काम-धंधे का प्रशिक्षण कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना होता था। वे तो इसे अपने बाप-दादाओं से बचपन में ही सीख लिया करते थे, इस व्यवस्था में लड़ाई-झगड़ों की गुंजाइश बहुत कम थी। धार्मिक मान्यताओं के कारण ऐसे अपराध नगण्य थे जो नैतिकता के विरुद्ध जाते हों। इसके परिणामस्वरूप पंचायतों को मात्र वही काम करना होता था जो घर के बुजुर्ग बच्चों के झगड़े निपटाने में करते हैं। गाँव में प्रत्येक मर्द और औरत अपनी आय के

**इतिहासकार लुडलो ने पंचायतों द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के संचालन का विस्तृत विवरण दिया है। उसने लिखा है कि स्वास्थ्यकर्मी यानी वैद्यगण तो पारिवारिक ज्ञान लेकर आते थे। वे स्थानीय वनस्पतियों, फलों, फूलों, जड़ी-बूटियों से निरंतर प्रयोग करते रहते थे। यथार्थतः हमारी तत्कालीन पंचायतें प्रयोग, विमर्श तथा ज्ञान-प्रसार का जीवन्त माध्यम थीं। एक ऐसे युग में जब प्रचार माध्यमों का नितान्त अभाव था, भारत की पंचायतें सबसे बड़ा प्रचार माध्यम थीं। चूंकि वैद्य लोग समाज से कोई शुल्क नहीं लेते थे अतः यह पंचायतों का दायित्व था कि वे उनकी दैनंदिन जरूरतों की पूर्ति सामुदायिक प्रयास से सुनिश्चित करें, कृषि-भूमि और गौ-शालायें तो सबके पास थीं जो जीवन-यापन के लिये जरूरी उत्पाद मुहैया कराती थीं।**

**वर्तमान में त्रि-स्तरीय पंचायत-व्यवस्था के माध्यम से उसी प्रणाली को सोशल सेक्टर में पुनर्जीवित किया गया है जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ परंपरागत रूप से लागू थी। अब तो पर्यावरण चेतना के साथ-साथ पंचायतों के पास पर्यावरण संतुलन विषयक अधिकार और कर्तव्य भी हैं।**

अनुसार किसी न किसी रिश्ते-नाते की संज्ञा से संबोधित होते थे। मिसाल के तौर पर बड़ी उम्र की महिलाएँ दादी, चाची, ताई, बुआ, मौसी आदि कहलाती थीं और अन्य को बहन, भाभी आदि कहते थे। पुरुषों में भी दादा, चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा आदि संबोधन थे। ऐसा लगता था मानो सारा गाँव ही एक-दूसरे का सगा-संबंधी रहा हो।

कैम्पबेल ने जो बात मद्रास प्रेसीडेन्सी के बारे में लिखी थी लगभग वही बातें एल. किंग्सटन ने सन् 1824 की अपनी एक रिपोर्ट में बम्बई प्रेसीडेन्सी के बारे में भी लिखीं। यह तमाम उल्लेख उस समय के हैं जब अंग्रेजों का प्रभाव पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी था तथा उत्तरी भारत पर उनका आधिपत्य कायम नहीं हुआ था।

इतिहासकार लुडलो ने पंचायतों द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के संचालन का विस्तृत विवरण दिया है। उसने लिखा है कि स्वास्थ्यकर्मी यानी वैद्यगण तो पारिवारिक ज्ञान लेकर आते थे। वे स्थानीय वनस्पतियों, फलों, फूलों, जड़ी-बूटियों से निरंतर प्रयोग करते रहते थे। यथार्थतः हमारी तत्कालीन पंचायतें प्रयोग, विमर्श तथा ज्ञान-प्रसार का जीवन्त माध्यम थीं।

एक ऐसे युग में जब प्रचार माध्यमों का नितान्त अभाव था, भारत की पंचायतें सबसे बड़ा प्रचार माध्यम थीं। चूंकि वैद्य लोग समाज से कोई शुल्क नहीं लेते थे अतः यह पंचायतों का दायित्व था कि वे उनकी दैनंदिन जरूरतों की पूर्ति सामुदायिक प्रयास से सुनिश्चित करें, कृषि-भूमि और गौ-शालायें तो सबके पास थीं जो जीवन-यापन के लिये जरूरी उत्पाद मुहैया कराती थीं। जुलाहे कपड़ा दे देते थे। प्रत्येक गाँव में दाई थी तो जचकी की व्यवस्था करती थीं। वे तो पास-पड़ोस के गाँवों में भी अपनी सेवायें देती थीं। मैकाले ने भारत की तत्कालीन पंचायत-संचालित समाज व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है।

यद्यपि मैकाले ने भारत की परम्परागत शिक्षा व्यवस्था का अलंकरण किया किंतु उसने हमारी शिक्षा-संस्कृति के बारे में जो लिखा है वह अत्यंत चिंतनीय है। उसने लिखा है कि स्थानीय पंचायतें गाँवों के पढ़े-लिखे युवकों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करवाती थीं। मदरसों और विद्यालयों का संचालन पंचायतों द्वारा स्वयंसेवी था। ब्रिटिश सांसद केर हार्डी ने अपनी पुस्तक 'इंडिया' में मैकाले के हवाले से लिखा है कि "बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा होने के पहले वहाँ अस्सी हजार देशी पाठशालाएँ थीं अर्थात् सूबे की आबादी के हर चार सौ व्यक्तियों के पीछे औसतन एक पाठशाला थी। इनका संचालन ग्राम पंचायतें स्थानीय संसाधनों से करते थे। राजे-नवाब पाठशालाओं और मदरसों को खुले हाथ से आर्थिक सहायता देने के अभ्यस्त थे।" जैसे ही हमने ग्राम-पंचायतों की व्यवस्थाको ध्वस्त किया वैसे ही यह पाठशालाएँ स्वतः समाप्त हो गईं। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत की पुरानी पंचायतों को नष्ट कर दिया और उसी के साथ-साथ वह अवधारणा भी नष्ट हो गयी जो शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में स्वयंसेवी व्यवस्था की प्रेरक-बिंदु थीं और जिसे सुदृढ़ करने का काम पंचायतें करती थीं।

डॉ. एन्ड्रबेल नामक एक पादरी भारत की पंचायत संचालित शिक्षा-व्यवस्था से बेहद प्रभावित था। उसका कहना था कि यहाँ की पंचायतें यह सुनिश्चित करती हैं कि गाँव के शिक्षित युवक वहाँ के बच्चों को लिखना, पढ़ना और हिसाब सिखायें जिसे हम रीडिंग, राइटिंग तथा मैथ्स कहते हैं। उसे यह प्रणाली बहुत अच्छी लगी जिसके तहत ऊंचे दर्जे के विद्यार्थी निचली कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं और साथ-साथ अपना ज्ञान भी पक्का करते रहते हैं। डॉ. बेल ने इसी पद्धति को स्वदेश लौटने पर इंग्लैंड में लागू किया। वहाँ इसे 'म्यूचुअल ट्यूशन' का नाम दिया गया।

वर्तमान में त्रि-स्तरीय पंचायत-व्यवस्था के माध्यम से उसी प्रणाली को सोशल सेक्टर में पुनर्जीवित किया गया है जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ परंपरागत रूप से लागू थी। अब तो पर्यावरण चेतना के साथ-साथ पंचायतों के पास पर्यावरण संतुलन विषयक अधिकार और कर्तव्य भी हैं।

● **घनश्याम सक्सेना**

**भारत में पुरातनकाल में पंचायत व्यवस्था ग्रामीणों द्वारा स्वतः संचालित थी। ग्राम स्वयत्तता के संदर्भ में प्रत्येक ग्राम का प्रशासन स्वयं ग्रामीणों द्वारा ही किया जाता था। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य ने पंचायत व्यवस्था की जड़ें मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पंचायत व्यवस्था के पूर्व इतिहास और किये गये प्रयासों पर केन्द्रित आलेख की श्रृंखला प्रस्तुत कर रही हैं - श्रीमती मुक्ति श्रीवास्तव**

# दक्षिण भारतीय इतिहास में पंचायत राज

1911 में मैसूर में टैंक पंचायत एक्ट और 1920 में मद्रास विलेज पंचायत एक्ट बनाए गए जिनमें पंचायतों को पानी और अन्य मामलों में अधिकार देने का दिखावा किया गया। दिखावा इसलिए क्योंकि ये अधिनियम तो बने किन्तु अन्य संबद्ध विधियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अधिकारों के नाम पर सिर्फ कर्तव्य अधिरोपित किए गए। यही बात 1926 के मैसूर विलेज पंचायत एक्ट में देखी गई। 1926 तक ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत और 6 अन्य देसी राज्य पंचायत अधिनियम पारित कर चुके थे। बंबई ग्राम पंचायत अधिनियम, 1920, बंगाल स्व-शासन अधिनियम, 1919, बिहार स्व-शासन अधिनियम 1920, मध्यप्रांत और बरार पंचायत अधिनियम, 1920, उ.प्र. ग्राम पंचायत अधिनियम 1920 और आसाम स्व-शासन अधिनियम, 1925 के अलावा को चीन पंचायत रेगुलेशन्स एक्ट, 1919, इन्दौर पंचायत एक्ट, 1920, ट्रावनकोर ग्राम पंचायत अधिनियम, 1925, बड़ौदा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1926, कोल्हापुर पंचायत अधिनियम, 1926 और मैसूर का पूर्वोल्लिखित एक्ट पारित हो चुके थे। बाद में बीकानेर, करौली, हैदराबाद, मेवाड़, जस्दान, भावनगर, पोरबन्दर, भरतपुर, मारवाड़, वाड़िया, धारगंध्रा, मोरवी, सिरोही, जयपुर आदि देशी रियासतों ने भी पंचायत अधिनियम बनाए। प्राय; सभी में एक-सी थीम थी कि सभी सार्वजनिक परिसंपत्तियाँ राज्य की हैं। उस देश में जहां पानी एक सामूहिक सम्पदा थी जो न्यास के रूप में स्थानीय निकायों द्वारा धारित होती थी और जहां कभी किसी राजा ने किसी तालाब पर स्वामित्व कभी नहीं जताया, वहां अब राज्य ही संपूर्ण स्वामी था। संसाधनों के अधिक दक्ष आबंटन के लिए संपत्ति अधिकारों का निश्चयन एक शक्तिशाली और आवश्यक शर्त मानी गई थी। किसी सामुदायिक संपत्ति के नियमित उपयोग के लिए पोलिसिंग की लागत काफी अधिक समझे जाने से और सामूहिक संपदाओं के अन्तरणहीन होने तथा फ्री-राइडिंग के खतरे का सतत शिकार बने रहने से पंचायती सामूहिकता त्याज्य समझी गई। यह एक दिलचस्प अध्ययन का विषय है कि पंचायतों के खात्मे के साथ साथ 'कामन्स', 'शामलातदेह', 'निस्तार', 'गोचर', 'गैरान' आदि भूमियों का भी कितना संकुचन हुआ। उससे भी अधिक दिलचस्प यह है कि अब जब पंचायती राज लौटा है तो उसके साथ अस्तित्व की यह सामूहिकता क्यों नहीं लौटी, क्यों 'कामन्स' के लिए पंचायती चिन्ताओं का पुनर्केन्द्रण नहीं हुआ?

अंग्रेजों ने 1852 में बंजर भूमियों पर राज्य का स्वामित्व घोषित किया और समुदाय को उसमें से खारिज कर दिया। यों उन्होंने तबाही की। लेकिन जो नष्ट हुआ वह कैसे निर्मित और विकसित हुआ था? यह भी एक लम्बी कहानी है, कहीं से भी जिसे शुरू किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में तंजावुर जिले में 1805 के आसपास 1800 'समुदायम' गांव थे जिन्हें खेतीहरों को भूमि प्रदान करने वाली नई राष्ट्रीय विधि के कारण भंग कर दिया गया था। ये गांव तत्कालीन तंजौर जिले के कुल ग्रामों का लगभग 30 प्रतिशत थे। एफ.डब्ल्यू. एलिस ने दक्षिण भारत और उसमें भी तत्कालीन तोंडामंडलम प्रांत में - तमिल क्षेत्र में पंचायती व्यवस्था को सबसे मजबूत पाया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि आज की ही तरह पहले भी पंचायती व्यवस्था की सघनता/सांद्रता/सफलता भी अलग अलग प्रांतों/प्रदेशों में अलग अलग डिग्री में रहती आई। एलिस ने लिखा है कि भारतीय गांव या नगरबस्तियां छोटे गणतंत्रों के रूप में वर्णित किए गए हैं लेकिन यह वर्णन सबसे ज्यादा चरितार्थ तमिल गांवों में ही होता है जिनके लिए 'कामनवेल्थ' शब्द का इस्तेमाल शब्दशः किया जा सकता है, न कि उन मराठा, कन्नड़ या तेलुगू लोगों के लिए जो अपने संगठन में - प्रशासन में न सही - एक राजशाही ज्यादा लगते हैं, गणतंत्र कम। तमिल गांवों में कोई शीर्ष प्रमुख नहीं होते। उनके कर्तव्य ग्राम सीनेट, जिसे ग्राम प्रवर्तकतम कहा जाता है, द्वारा निबाहे जाते हैं। इसमें समुदाय के सारे मामलों - आंतरिक और बाहरी - पर विमर्श होता है। इस सभा में हर भूस्वामी की एक सीट और एक आवाज है, हरेक के पास समुदाय के सामान्य कार्य व्यवहार के प्रबंधन में एक अधिकार है, अपने हिस्से के अनुपात में एक विशेषाधिकार है। (1810) यह मीरासी व्यवस्था दक्षिण में कैसे आई थी?

चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत में पंचायती व्यवस्था की जड़ें जमाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चोल साम्राज्य में ग्राम स्वायत्तता के संदर्भ में बुनियादी धारणा यह रही कि प्रत्येक ग्राम का प्रशासन स्वयं ग्रामीणों द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, ग्रामसभा निर्मित की गई और उसमें प्राधिकार संन्निहित किया गया। बड़े गांवों में, जहां ग्रामीण संगठन अधिक जटिल था, सभाओं की अधिकता थी और एक ग्रामीण दो या अधिक सभाओं का सदस्य हो सकता

था, सदस्यता की आवश्यकताओं के अनुसार। एक गांव वार्डों में विभाजित किया जा सकता था और प्रत्येक वार्ड अपने सदस्यों की एक सभा रच सकता था, जिनमें से कुछ व्यावसासिक समूहों के प्रतिनिधि भी हो सकते थे, जैसे बढ़ई, लोहकार आदि, या किसी ऐसे समूह, जो अन्य ग्राम कार्यों जैसे स्थानीय मंदिर का नियंत्रण का पर्यवेक्षण करता था, का अंग हो सकते थे। इन विभिन्न समूहों के बीच संबंध गांव के सामाजिक जीवन की बुनियाद थे। इन लघुतर समूहों के अतिरिक्त एक सामान्य सभा भी थी। ये साधारण सभाएं अधिकतर स्थानीय निवासियों से युक्त होती थीं और तीन प्रकार की थीं : उर जो किसी सामान्य गांव के करदाता निवासियों से बनती थी, सभा जो गांव के ब्राम्हणों तक ही सीमित थी या यह ऐसे गांवों में होती थी जो ब्राम्हणों को उपहार स्वरूप दिये जाते थे, और अंतिमतः नगरम् जो अक्सर व्यापार केन्द्रों में होती थी और इसलिए वाणिज्यिक हितों पर ही केन्द्रित हुआ करती थी। बहुत बड़े गांवों में दो उर भी हो सकती थी, यदि इससे सुविधा होती हो। इन सभाओं की कार्यप्रणाली स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती थी। उर गांव के सभी पुरुष वयस्कों के लिए खुले थे लेकिन वस्तुतः वृद्धतर सदस्य अधिक प्रभावी भूमिका निभाते थे, उनमें से कुछ दैनिक कार्यों के लिए एक लघु कार्यकारिणी परिषद गठित कर लेते थे। सभा की पद्धति भी यही थी और साथ ही उन्हें किसी कार्य विशेष के लिये अपने सदस्यों से किसी भी आकार की छोटी समितियां संघटित करने का अधिकार था। सभा का चुनाव, ऐसा प्रतीत होता है, अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के बीच 'लाट' पद्धति के द्वारा हुआ करता था। हालांकि सभा की कार्यप्रणाली में, जब आवश्यक समझा जाता था, परिवर्तन किया जा सकता था। उत्तरमेरूर (ब्राम्हणों का एक गांव) में मंदिर की दीवार पर एक अभिलेख से पता लगता है कि सभा किस तरह कार्य करती थी। यह दसवीं शती का है और इसमें कहा गया है :-

30 वार्ड होंगे। इन तीस वार्डों में वे जो प्रत्येक वार्ड में रहते हैं एकत्र होंगे और प्रत्येक व्यक्ति जो निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो, 'लाट' के द्वारा चुना जाएगा।

उसके पास बेलि (करदाता भूमि) का एक चौथाई हो,

उसके पास अपना मकान हो,

उसकी अवस्था 70 से कम और 35 से अधिक हो,

उसे मंत्रों और ब्राम्हणों का ज्ञान हो,

यदि उसके पास 1/8 बेलि (भूमि) ही हो, उसका नाम सम्मिलित किया जायेगा बशर्ते उसे एक वेद और चार भाष्यों में से एक का ज्ञान हो। उनमें से जिनके पास ये योग्यताएं होंगी केवल वे ही जो व्यापार में दक्ष और गुणवान हों, लिये जायेंगे और वह जो ईमानदारी से कमाता हो, जिसका मस्तिष्क शुद्ध हो और जो पिछले तीन वर्षों में किसी समिति में न रहा हो, भी चुना जा सकेगा। जो इनमें से किसी समिति में रहा हो किन्तु अपने विभाग के आय व्यय का ब्यौरा नहीं पेश कर सका हो और उसके निम्न निर्दिष्ट संबंधी टिकटों पर अपने नाम नहीं लिखा सकते :

*उसकी माता की छोटी और बड़ी बहनों के पुत्र*
*उसके पिता की चाची और मामी के पुत्र,*
*उसकी माता के सहोदर भाई,*
*उसके पिता के सहोदर भाई,*
*उसका सहोदर भाई,*
*उसका श्वसुर,*
*उसकी पत्नी का सहोदर भाई,*
*उसकी सहोदर बहिन के पुत्र,*
*उसका दामाद,*
*उसका पिता,*
*उसका बेटा।*

वह जिसके खिलाफ व्यभिचार या पांच महान पापों में से पहले चार का आरोप हो (पांच बड़े पाप हैं - ब्राम्हण की हत्या, मद्यपान, चोरी, व्यभिचार और अपराधियों का संग) और उपर्युक्त उसके सभी संबंधी लाट द्वारा चुने न जा सकेंगे। वह जो निम्न वर्गों के साथ संबंधों के साथ जाति-बाहर हो गया हो तब तक टिकटों पर अपना नामांकन नहीं करवा सकता जब तक कि वह प्रायश्चित के कर्म विधान पूरे नहीं कर लेता :

वह जो उजड्ड हो ....

जिसने अन्यों की सम्पत्ति चुराई हो,

जिसने निषिद्ध भोजन किया हो,

जिसने पाप किये हों और जिसे शुद्धि के प्रायश्चित विधान करते हों।

इन सभी के अलावा, तीस वार्डों के लिए टिकटों पर नाम लिखे जायेंगे और इन बारह गलियों में वार्डों में से प्रत्येक एक पृथक अर्हता टिकट तैयार करेगा और तीस वार्डों को पृथक पृथक बांधा जायेगा। इन पैकेटों को बर्तन में डाला जायेगा। जब टिकट डालने हों तब महान सभा, जिसमें तरूण और वृद्ध सदस्य सब हों, की पूरी बैठक आहूत की जायेगी, उस दिन गांव में मौजूद सभी मंदिर पुरोहित बिना किसी अपवाद के अन्तःकक्ष जहां महान सभा की बैठक होगी में बिठाये जायेंगे। मंदिर पुरोहितों के बीच में से सबसे वरिष्ठ उठेगा और पात्र उठायेगा ऊपर की ओर ताकि सभी उसके देख लें। निकट खड़े किसी छोटे बच्चे, जो अन्दर को लोगों को नहीं जानता, को बुलाकर एक वार्ड दूसरे खाली बर्तन में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा और हिला दिया जाएगा। इस पात्र में से एक टिकट निकाला जायेगा और पंच बनाया जायेगा।

इस प्रकार उसे दिये गये टिकट को ग्रहण करते हुए पंच इसे अपनी पांचों खुली अंगुलियों के साथ अपनी हथेली पर लेगा। इस प्रकार प्राप्त टिकट को वह पढ़कर बतायेगा। अंतःकक्ष में मौजूद सभी पुरोहितों द्वारा इसे पढ़ा जायेगा। इस तरह पठित नाम लिखा और स्वीकारा जायेगा। इस प्रकार तीस वार्डों, में से प्रत्येक से एक व्यक्ति चुना जायेगा।

इस प्रकार चुने गये तीस व्यक्तियों में से वे जो पहली उपवन समिति या तडाग समिति में रहे हों, जो विद्या में अग्रणी हों और वय में भी वार्षिक समिति में चुने जायेंगे। शेष में से बारह उपवन समिति और शेष छः तड़ाग समिति के लिए चुने जायेंगे। इन तीन समितियों के महान व्यक्ति पूरे 360 दिन तक पद ग्रहण किये रहेंगे और फिर सेवामुक्त हो जायेंगे। समिति में से जो किसी त्रुटि का दोषी होगा तुरंत हटा दिया जायेगा। इन सब के सेवामुक्त होने के बाद समितियों को नियुक्त करने के लिए बारह गलियों में 'न्यायनिरीक्षणार्थ समिति' के सदस्य पंच की सहायता से एक सभा आहूत करेंगे। समितियां पात्र-टिकटों (कुदावोलई) के ड्रा में से नियुक्त की जायेंगी।

# ग्रामीण अंचल के पुरातत्वीय स्मारक

**पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल द्वारा गहन पुरातत्वीय सर्वेक्षण कर समय-समय पर दुर्लभ, अज्ञात ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की नवीन खोजें की जाती हैं। इन खोजों में मध्यप्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों की ऐतिहासिक धरोहरें भी शामिल हैं। संग्रहालय द्वारा इन्हें संरक्षित करने के प्रयास में ग्राम पंचायतों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से शिवपुरी जिले के ग्राम पिपरोदा के विष्णु तथा शिव मंदिर और ग्राम राजपुर के बौद्ध स्तूप कठियामठ की जानकारी प्रस्तुत है। अपेक्षा है पुरातत्वीय नवीन खोज की यह जानकारी पाठकों के लिए रुचिकर होगी।**

## विष्णु तथा शिव मंदिर

ग्राम पिपरोदा उवारी, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी में स्थित विष्णु-शिव मंदिर समूह लाल बलुआ प्रस्तर से निर्मित है। ये मंदिर 9-10वीं शती ई. में प्रतिहार काल में बनाये गये। लघु विष्णु एवं शिव मंदिरों के सिरदल भाग के ऊपर उकेरे गए ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से स्पष्ट हो जाता है कि ये मंदिर किस देव को समर्पित किया गया है। मंदिरों के सम्मुख मण्डप अंतराल सिरदल एवं गर्भगृह हैं, जिसमें कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर सादा स्तम्भों पर आधारित चौकोर एक ही प्रस्तर की छत से ढंका है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दायें-बायें नदी देवियों गंगा एवं यमुना का अंकन है।

समूह में निर्मित विष्णु एवं शिव मंदिरों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि पूर्व में भी मानव एक दूसरे के धर्मों के समावेश में विश्वास रखता था।

## बौद्ध स्तूप कठिया मठ

ग्राम राजपुर, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी में कुठिया मठ (बौद्ध स्तूप) विद्यमान है। तहसील पिछोर से दक्षिण में 35 किलोमीटर सड़क मार्ग पर मोहवर नदी के तट पर ग्राम राजपुर बसा है। ग्राम राजपुर से लगभग डेढ़ किलोमीटर उत्तर पूर्व में मोहवर नदी के दायें तट पर यह बौद्ध स्तूप स्थित है। इसकी जानकारी सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में मिली थी। यह बौद्ध स्तूप लाल बलुआ प्रस्तर से निर्मित है जो 4 फीट ऊंची वर्गाकार आधार पर या जगती पर तैयार किया गया, जिसकी एक भुजा 60 फीट है। वर्गाकार आधार पर जगती के ऊपर अण्ड की संरचना सिलेण्डर नुमा है, जिसकी ऊंचाई 11 फीट तथा व्यास 43 फीट है। इसके ऊपर का अण्ड भी सिलेण्डर नुमा है, जिसका व्यास 35 फीट तथा ऊंचाई 11 फीट है। इसके ऊपर का शीर्ष भाग का व्यास 27 फीट तथा ऊंचाई 22 फीट है। ऊपर की मेधि या परिधि सादा है। इस प्रकार यह त्रिस्तरीय संरचना है। स्थानीय निवासी इस बौद्ध स्तूप को कुठिया मठ कहते है, जो एक दंत कथा से जोड़ता है। ग्वालियर परिक्षेत्र में बौध धर्म के अवशेष अन्य स्थलों से प्रकाश में नहीं आये है। यह स्थल बौद्ध धर्म का

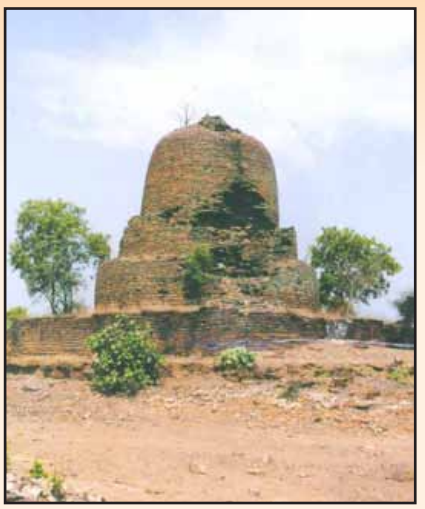

महत्वपूर्ण केन्द्र था। स्थानीय लोगों में प्रचलित दन्त कथा किसी बौद्ध व्यापारी से संबंधित है, जिसे बंजारा जाति से समीकृत करते हैं, जिसके द्वारा इस स्तूप का निर्माण करवाया गया था।

यह स्तूप त्रिस्तरीय है, जिसमें किसी भी प्रकार का अंलकरण नहीं है। इस स्तूप को घुमावदार प्रस्तरों से सादी संरचना में शैलीगत आधार पर शुंगकाल में तैयार किया गया प्रतीत होता है। यह स्तूप पुरातत्वीय दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।

**● डी.के. माथुर**